अमेरिकी सेना के सेवानिवृत्त गोताखोर जो दितूरी, जिन्हें डॉ. डीप सी भी कहा जाता है, ने एक प्रयोग के तहत समुद्र की गहराइयों में कांच के एक चैंबर में सौ दिन बिताने का रिकॉर्ड तो बनाया, लेकिन उस दौरान उन्हें महसूस हुआ कि समुद्र की अपनी एक अलग जादुई दुनिया होती है, जहां के कायदे हमारी जमीनी दुनिया से अलग होते हैं।

समुद्र के भीतर वे सौ दिन

ब्रेडले इलियट
प्रोफेसर, वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी

जब हम समुद्र में दस से तीस मीटर की गहराई पर होते हैं, तब हल्का उत्साह और एक सकारात्मकता महसूस होती है। लेकिन तीस मीटर या उससे नीचे जाने पर हल्का नशा भी महसूस हो सकता है, जिसे 'नार्कोसिस' नाम दिया गया है। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब तो फिलहाल वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है।

बुरे सपने कभी न कभी सबको आते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि दुनिया भर में लोगों द्वारा देखे गए बुरे सपनों की सूची में सबसे ज्यादा बार देखा गया सपना कौन-सा है? वह सपना है खुद को कांच के ऐसे बॉक्स में बंद देखना, जिसके बाहर पानी ही पानी हो। जो दितूरी जैसा कोई विरला ही होगा, जिसने इस बुरे सपने को हकीकत में बदल कर पाया कि यह उतना बुरा भी नहीं था। दितूरी अमेरिकी नौसेना के सेवानिवृत्त गोताखोर हैं और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। उन्हें डॉ. डीप सी भी कहा जाता है। वह पहले भी कुछ दिनों के लिए कांच के एक खास केबिन में समुद्र के नीचे रहे हैं। लेकिन इस बार 55 वर्ग मीटर के कांच के घर में फ्लोरिडा के पास के समुद्र में सौ दिन रहकर उन्होंने वाकई रिकॉर्ड कायम किया है। दितूरी बताते हैं कि समुद्र के भीतर वे सौ दिन वाकई जादुई थे।

पनडुब्बी से अलग अनुभव

जब पनडुब्बी पानी के भीतर होती है, तो वह पूरी तरह से बंद होती है और उसमें समुद्र की सतह वाले दबाव को ही बनाए रखा जाता है। समुद्र की गहराइयों में भी हवा के दबाव में खास फर्क मालूम नहीं पड़ता। लेकिन दितूरी सौ दिन तक समुद्र के भीतर जिस कांच के घर में रहे, उसमें पानी और रहने की जगह के बीच कोई एयरलॉक नहीं था,

समुद्र में रहने के दौरान 55 वर्ग मीटर के कांच के बॉक्स में दितूरी।

जैसा पनडुब्बी में होता है। दितूरी का कांच का घर ऐसे ही था, मानो पानी से भरे बड़े बर्तन में गिलास उलटा करके रख दिया गया हो। ऐसा करने पर चारों ओर पानी होने के बावजूद गिलास में हवा बनी रहती है। ऐसे ही दितूरी के कांच के घर में हवा बनी रही, हालांकि इस घर में समुद्र के रास्ते नीचे से प्रवेश करने की व्यवस्था थी। इसे यों समझें कि कांच के घर के अंदर की हवा का दाब समुद्र के दबाव से कम था, फिर भी, गहराई में कांच के घर के अंदर हवा का दबाव जमीन पर रहने वाले दबाव से करीब दोगुना ज्यादा तो था ही।

समुद्र के अंदर की दुनिया

पेशेवर गोताखोर जानते हैं कि समुद्र के अंदर की दुनिया आसान नहीं होती। गहराइयों में समुद्र के पानी का हाइपरबेरिक दबाव मनुष्य के लिए खतरा भी बन सकता है। विकास की कई अवस्थाओं को पार कर इन्सान का शरीर जमीन पर रहने का अभ्यस्त हुआ है। जमीन पर सांस लेने के लिए हम दो गैसों यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाई ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे फेफड़ों व रक्त के बीच आसानी से आर-पार होती रहती हैं। लेकिन समुद्र के नीचे जब दबाव बढ़ता है, तब हवा में मौजूद नाइट्रोजन हमारे फेफड़ों की नाजुक दीवारों को पार कर रक्त में घुलने लगती है। इसका गंभीर असर हो सकता है। जब हम समुद्र में दस से तीस मीटर की गहराई पर होते हैं, तब हल्का उत्साह और सकारात्मकता महसूस होती है। पर तीस मीटर या उससे नीचे जाने पर हल्का नशा भी महसूस हो सकता है, जिसे 'नार्कोसिस' नाम दिया गया है। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब तो फिलहाल वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। पर मेरे विचार से यह हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर के संकेत देने के तरीके में बदलाव के कारण हो सकता है। हालांकि दितूरी को इससे कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वह केवल दस मीटर की गहराई पर थे।

जादुई अनुभव

गहरे समुद्र में कांच के घर में अकेले दितूरी। चारों ओर नीले पानी का साम्राज्य। न कोई मोबाइल फोन, न टेलीविजन। चूंकि पानी पूरे कांच के घर को काट रहा था, इसलिए उन्हें ऐसा महसूस होता था कि हर चीज उनकी ओर ही बढ़ रही है। समुद्र के भीतर का अजीबोगरीब जीवन। वनस्पतियां, छोटी और बड़ी मछलियां। सब उनके चारों ओर टकरा रही थीं। कई मछलियों को तो उन्होंने अपनी तरफ से नाम भी दिए हुए थे।

दिक्कतें भी हुईं

दितूरी के कांच के घर में उन्हें सब कुछ दिख रहा था। फिर भी जमीन की तुलना में उन्हें सूरज की आधी रोशनी ही मिल रही थी। जाहिर है कि इससे उनकी आंतरिक घड़ी प्रभावित हो रही थी। विटामिन 'डी' भी कम मिल पा रहा था। ऐसे में अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को दुरुस्त बनाए रखने के लिए वह अन्य स्रोतों का सहारा ले रहे थे और उन्हें स्वास्थ्य को भी खास ध्यान रखना पड़ रहा था, क्योंकि शरीर में कई ऐसे विषाणु होते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली के कमजोर होने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। हड्डियों को नुकसान से बचाने के लिए दितूरी हफ्ते में पांच दिन एक घंटे व्यायाम जरूर करते थे। उन्होंने सिर्फ एक्सरसाइज बैंड का इस्तेमाल किया। इससे वह कांच के चैंबर में विकसित हुई अपनी मांसपेशियों को संतुलित रखने में सक्षम थे। दितूरी खुद मानते हैं कि यह सब कहना जितना आसान लग रहा है, उतना था नहीं। गहरे समुद्र में उनकी सतर्कता का आलम यह था कि वह सांस भी सोच-समझ कर लेते थे। वह अपने चारों ओर के हर बदलाव को नोट कर रहे थे। आखिर यह उनकी जिंदगी थी, और वहां गहराइयों में उसका ख्याल उन्हें खुद ही रखना था।

उम्र हुई दस साल कम

समुद्र से बाहर आने के बाद दितूरी की नींद पहले से छियासठ फीसदी बेहतर हुई है। कोलेस्ट्रॉल का स्तर 72 पॉइंट घट गया है। अनावश्यक वसा हटने से वह छरहरे हो गए हैं। प्रारंभिक निष्कर्षों में उनकी नींद और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में भारी सुधार हुआ। डीएनए परीक्षणों सहित व्यापक चिकित्सा जांचों से पता चला कि दितूरी बाहर आने के बाद जैविक रूप से युवा हो गए हैं। दितूरी के टेलोमेरेस-गुणसूत्रों के सिरों पर डीएनए कैप, जो आमतौर पर उम्र के साथ सिकुड़ते हैं और समय के साथ छोटे होते जाते हैं-तीन महीने यानी करीब 100 दिन पहले की तुलना में 20 प्रतिशत लंबे हो गए थे। यानी विज्ञान की भाषा में कहें, तो दितूरी की वास्तविक उम्र दस साल कम हो गई है।

हाइपरबेरिक चिकित्सा

समुद्र की गहराइयों में हवा का दबाव ज्यादा होता है। ऐसे में, दितूरी अपने इस प्रयोग से यह जानना चाहते थे कि ऐसे दबाव का उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। इसे डाइविंग चिकित्सा या ऑक्सर सी चिकित्सा भी कहते हैं, जिसमें व्यक्ति को ऑक्सीजन से भरे उच्च वायुदाब वाले चैंबर में रखा जाता है।

अच्छी नींद सपना बन गई, तो जाइए नींद पर्यटन पर

नींद पर्यटन तेजी से उभरते स्वास्थ्य पर्यटन का हिस्सा है, जो आज सालाना 800 अरब डॉलर से ज्यादा का कारोबार बन चुका है।

चार्लोट गुप्ता
वरिष्ठ अध्येता, सीक्यू यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया...साथ में डीन. जे. मिलर

कल्पना कीजिए कि आप एक लंबी यात्रा के बाद होटल पहुंचते हैं और वहां स्लीप बटलर स्वागत करने के साथ आपको तकिए के साथ अन्य सेवाओं की सूची पेश करता है। फिर आपको 'नींद-ध्यान सत्र' में बुलाया जाता है और आप एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं, जिसमें एआई-तकनीक वाला स्मार्ट बिस्तर व अन्य सुविधाएं हैं। पारंपरिक रूप से छुट्टियां मौज-मस्ती करने, घूमने, दर्शनीय जगहों की यात्रा के लिए होती हैं। लेकिन स्लीप टूरिज्म यानी नींद पर्यटन सिर्फ अच्छी नींद के लिए होता है, जिसमें छुट्टियां लेकर मजे से सोइए। नींद पर्यटन तेजी से उभरते स्वास्थ्य पर्यटन का हिस्सा है। स्वास्थ्य पर्यटन सालाना 800 अरब डॉलर से ज्यादा का कारोबार बन चुका है। आज दुनिया भर में पर्यटकों के लिए होटलों में विलासितापूर्ण आरामगाह हैं।

नींद पर्यटन के बढ़ने का मतलब है कि ज्यादातर लोग अच्छी नींद से वंचित हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक-तिहाई से ज्यादा वयस्क सात से नौ घंटे की पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहे हैं, जो बेहद जरूरी है। अपर्याप्त नींद जीवन में मानसिक स्वास्थ्य, हृदय रोग, चयापचय रोग और किसी भी कारण से होने वाली मौत सहित कई समस्याएं खड़ी कर देती है। लेकिन क्या कोई होटल या कृत्रिम मेधा तकनीकयुक्त ऐशो-आराम वाली जगह व सुविधाएं आपको अच्छी नींद दे सकती है? नींद पर्यटन उद्योग में उपलब्ध ज्यादातर सेवाओं का मकसद शयनकक्ष को ग्राहकों के अनुकूल बनाना होता है। अच्छी नींद के लिए अच्छे गद्दे, तकिए और शांत वातावरण चाहिए। लोग जितनी अच्छी नींद लेंगे, उसकी गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। जब हम किसी होटल में रुकते हैं, तो रोजमर्रा के तनावों से मुक्त रहते हैं। सोने के दौरान आने वाली अड़चनों, जैसे पड़ोस में चल रहे निर्माण कार्यों, गाड़ियों या पालतू जानवरों के शोर आदि से भी मुक्त रहते हैं। इसलिए हम घर से दूर शांत माहौल में अच्छी नींद ले सकते हैं। विज्ञान के मुताबिक, कम समय में भी हम अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। कम नींद के बाद जब हमारा मस्तिष्क 'नींद का दबाव' जमा करता है, तो ऐसा हो सकता है। 'नींद का दबाव' बताता है कि नींद के लिए जैविक इच्छा कितनी प्रबल है। नींद का दबाव ज्यादा होने से सोना आसान हो जाता है। अच्छी नींद इससे राहत दिला सकती है। शरीर को आराम देने के लिए रात की नींद महत्वपूर्ण है। लेकिन स्लीप टूरिज्म घर पर नियमित स्वस्थ नींद का विकल्प नहीं है।

द इकनॉमिस्ट से

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्यविपश्चितः।
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः।।
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्।
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति।।

अर्थात अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रियतृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है।

- भीष्म पर्व, गीता 2/42-43
(अर्जुन के प्रति साक्षात भगवान श्रीकृष्ण का गीतोपदेश)

प्रस्तुति : **विवेक चौरसिया**

जानना जरूरी है
संस्कृति के पन्नों से

आशुतोष गर्ग
लेखक एवं अनुवादक

अगस्त्य ने वातापि को कैसे मारा

महर्षि अगस्त्य को उनके पितरों ने विवाह करके संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी। अतः अगस्त्य ने विदर्भराज की पुत्री लोपामुद्रा से विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद महर्षि अगस्त्य ने पत्नी से संतान उत्पन्न करने की बात छेड़ी, तो लोपामुद्रा बोली, 'ऋषिवर, मैं संतानोत्पत्ति के लिए तैयार हूं, किंतु पहले मुझे धन, आभूषण और वस्त्र लाकर दीजिए। मैं दीन-जीर्ण अवस्था में समागम नहीं करना चाहती।' अगस्त्य ने खूब समझाया, परंतु लोपामुद्रा ने हठ नहीं छोड़ा।

पितरों की मुक्ति के लिए लोपामुद्रा की शर्त पूरी करना अनिवार्य था। आखिरकार अगस्त्य ने किसी राजा से धन मांगने का निश्चय किया। शर्त यह थी कि जिस राजा के आय-व्यय का हिसाब बराबर होगा, उससे धन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से उस राज्य की प्रजा के हितों की हानि होगी। यह सोचकर अगस्त्य, अनेक राजाओं के पास गए, किंतु सबके आय-व्यय का हिसाब बराबर मिला। तब ब्रसदस्यु नामक एक राजा ने अगस्त्य को इस्का उपाय बताया-'इल्वल और वातापि नाम के दो असुर भाई हैं। वह अवश्य आपकी सहायता करेंगे। परंतु किसी ब्राह्मण ने दोनों भाइयों को आशीर्वाद देने से मना कर दिया था। तभी से दोनों असुर ब्राह्मणों का वध करने में लगे हैं। पहले इल्वल आसुरी शक्ति से अपने भाई वातापि को बकरा बनाता है, फिर उसे ही काटकर उसका मांस भोजन में मिलाकर ब्राह्मण को खिला देता है। इल्वल के पास एक और शक्ति है कि वह जिस मृत प्राणी को उसके नाम से पुकारता है, वह जीवित होकर पुनः प्रकट हो जाता है। इस तरह, वातापि का मांस ब्राह्मण को परोसने के बाद इल्वल जैसे ही वातापि का नाम पुकारता है, तो वातापि पुनः जीवित हो जाता है और ब्राह्मण का पेट फाड़कर बाहर आ जाता है और ब्राह्मण की तत्काल मृत्यु हो जाती है। इस तरह दोनों भाई अनेक ब्राह्मणों की हत्या कर चुके हैं।'

धूप आवे दो

अगस्त्य मुस्कराए और इल्वल-वातापि से धन मांगने चल पड़े। अगस्त्य को देखते ही दोनों भाई प्रसन्न हो गए। अगस्त्य ने इल्वल के सामने जैसे ही धन की मांग रखी, वह तत्काल धन देने को तैयार हो गया।

इल्वल बोला, 'मुनिवर! आपको जितना धन चाहिए, मैं दूंगा। परंतु पहले आप मेरे यहां भोजन करके मुझे कृतार्थ करें।' उसने अपनी पुरानी चाल चली। भाई वातापि का मांस भोजन में मिलाकर अगस्त्य को परोस दिया। अगस्त्य ने चुपचाप भोजन खाया। फिर वह इल्वल से बोले, 'इल्वल, मैंने भोजन कर लिया है। अब मुझे धन दे दो, तो मैं चलूं।'

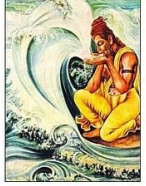

इल्वल जोर से हंसा। उसने आवाज लगाई, 'वातापि! बाहर आओ!' लेकिन वातापि नहीं आया। इल्वल ने कई बार वातापि का नाम पुकारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब हंसने की बारी अगस्त्य की थी! उन्होंने इल्वल से कहा, 'मुझे पता है कि तुमने वातापि को मारकर उसका मांस मेरे भोजन में मिलाया था। परंतु तुम्हारा भाई अब वापस नहीं आएगा, क्योंकि मैं उसे खाकर पचा चुका हूं!'

अगस्त्य बोले, 'इल्वल! यदि मैं समुद्र में छिपे कालकेयों को मारने के लिए एक घूंट में समुद्र का पानी पीकर उसे पचा सकता हूं, तो तुम्हारा भाई क्या चीज है! उसे भूल जाओ। मुझे जल्दी से धन दो, मुझे विलंब हो रहा है।'

इल्वल ने चुपचाप अगस्त्य को प्रचुर धन दे दिया, जिसे लेकर अगस्त्य अपनी पत्नी लोपामुद्रा के पास आ गए। धन पाकर लोपामुद्रा बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद लोपामुद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम दृढ़स्यु रखा गया। दृढ़स्यु के जन्म का समाचार सुनकर अगस्त्य के पितरों को शांति मिल गई। उन्होंने अगस्त्य को आशीर्वाद दिया और फिर वे सब परलोक सिधार गए।

अध्ययन कक्ष

द स्कैम दैट शूक ए नेशन
द नागरवाला स्कैंडल

लेखक : प्रकाश पात्र, रशीद किदवई

प्रकाशक : हार्पर कॉलिन्स, इंडिया
मूल्य : 399 रुपये

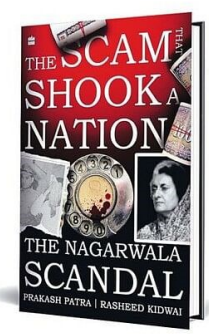

पांच दशक बाद नागरवाला घोटाला

किसी जासूसी उपन्यास की तरह लगती यह कहानी, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर भी आरोप लगे, भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार और नटवरलालों के उभार की कहानी है।

भारतीय स्टेट बैंक की पार्लियामेंट स्ट्रीट शाखा के मुख्य कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा के पास दिन के करीब पौने बारह बजे एक टेलीफोन आया। तारीख थी-24 मई, 1971। दूसरी तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री (इंदिरा गांधी) के सचिव पी एन हक्सर आपसे बात करना चाहते हैं। फिर दूसरी तरफ से एक व्यक्ति ने खुद को हक्सर बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को बेहद गोपनीय ऑपरेशन के लिए 60 लाख रुपये चाहिए। वह अभी एक आदमी भेजेंगी, जिन्हें आप धनराशि सौंप सकते हैं। मल्होत्रा को इस पर यकीन नहीं हुआ। तब खुद को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बताते हुए एक महिला ने टेलीफोन पर कहा कि वह यह धनराशि बांग्लादेश में एअर फोर्स प्लान के लिए भेजना चाहती हैं। तब जाकर मल्होत्रा को यकीन हुआ।

अपने सहयोगी की मदद से उन्होंने 60 लाख रुपये इकट्ठा किए और रुपयों का बक्सा लेकर वह बैंक के नजदीक फ्री चर्च के पास खड़े हुए, जहां हैट लगाए एक लंबे व्यक्ति ने कोडवर्ड बताकर मल्होत्रा से वह बक्सा ले लिया। फिर वह मल्होत्रा के ही सरकारी वाहन में पालम हवाई अड्डे की तरफ चले। रास्ते में एक कुली की मदद से उन्होंने वह बक्सा एक फिएट कार में रखवाया। फिर जाते-जाते मल्होत्रा से कहा कि वह प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर 60 लाख रुपये की रसीद ले सकते हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय में मल्होत्रा को पता चला कि प्रधानमंत्री और उनके सचिव, दोनों संसद में हैं। पी एन हक्सर को जब इस बारे में पता चला, तो उन्होंने कहा कि यह असाधारण किस्म की धोखाधड़ी है।

किसी जासूसी उपन्यास की तरह लगती यह कहानी भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार और नटवरलालों के उभार की कहानी है। हालांकि कुछ ही घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस ने नकदी समेत उस ठग को धर दबोचा, जो सेना का पूर्व कैप्टन रुस्तम सोहराब नागरवाला था। बाद में इसकी पुलिस जांच शुरू हुई। लेकिन बाद में आरोपी और मुख्य जांचकर्ता की संदेहास्पद परिस्थिति में हुई मौत तथा इस मुद्दे पर इंदिरा गांधी की चुप्पी ने कई सवालों को जन्म दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इसमें प्रधानमंत्री की लिप्तता से इन्कार नहीं किया जा सकता। 20 नवंबर, 1971 को मुख्य जांचकर्ता की मथुरा के पास सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु को बड़ी साजिश करार दिया गया। हालांकि दोनों लेखकों ने माना है कि वह सचमुच एक दुर्घटना थी। इसी तरह दो मार्च, 1972 को जीबी पंत अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से नागरवाला की मृत्यु हो गई, और जांच में सामने आया कि वह स्वाभाविक मृत्यु थी।

इसके बावजूद जब धोखाधड़ी का जिक्र होता है, तो नागरवाला घोटाले का हवाला दिया जाता है। हालांकि करोड़ों, अरबों रुपयों के सतत घोटालों के इस दौर में 60 लाख रुपये का घोटाला मामूली ही लगता है, लेकिन करीब आधी सदी पहले प्रधानमंत्री और उनके सचिव का नाम लेकर किया गया घोटाला निश्चित रूप से असाधारण था। पुलिस रिकॉर्ड्स, प्रेस रिपोर्ट्स और न्यायमूर्ति जगमोहन रेड्डी आयोग के सामने दिए गए बयानों के आधार पर दो वरिष्ठ पत्रकारों-प्रकाश पात्र और रशीद किदवई द्वारा लिखी गई यह किताब उस घोटाले और उसकी जांच पर पहला प्रामाणिक दस्तावेज है।

अभियान

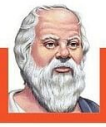

काम की शुरुआत करना ही उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है।
-सुकरात, महान दार्शनिक

amarujala.com
अमर उजाला

गोल चबूतरा

Hindi@mithelesh

■ मिथिलेश बारिया

मंज़िलों पर पहुंचकर,
कुछ रास्ते बहुत याद आए...

जीत का श्रेय बराबर बंटता है सभी में,
हार किसी एक सिर पे आती है...

'डॉली' को आप कहीं भूल तो नहीं गए !

जुलाई के महीने में ही वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत के बाद लैब में पहली बार क्लोनिंग के जरिये एक भेड़ का निर्माण किया था। क्लोनिंग के जरिये पैदा होने वाली यह दुनिया की पहली प्रजाति थी। इस प्रक्रिया को अंजाम देने की जिम्मेदारी ब्रिटेन के रोजलिन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक सर इयन विल्मट को सौंपी गई थी। वैज्ञानिकों ने अथक मेहनत के बाद पहली बार किसी स्तनधारी से निकाली गई कोशिका से 'क्लोन' बनाने में कामयाबी हासिल की थी। क्लोन तैयार करने के लिए एक सफेद और एक काले मुंह वाली भेड़ का इस्तेमाल किया गया था। वैज्ञानिकों ने सफेद भेड़ के सेल से न्यूक्लियस निकालकर काली भेड़ के सेल में डाला था, जिसके फलस्वरूप जन्मी भेड़ का नाम 'डॉली' रखा गया था। इस कदम से सेल क्लोनिंग के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त किया। क्लोनिंग के समर्थकों का मानना था कि इस तकनीक से पार्किंसन और अल्जाइमर जैसे रोगों का इलाज संभव हो सकेगा। बाद में सूअर, घोड़े, हिरण और बैलों के क्लोन भी बनाए गए। इन्सानों के क्लोन भी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी जटिल बनावट की वजह से सफलता नहीं मिल सकी। आज भी दुनियाभर के वैज्ञानिक जानवरों की लुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने के लिए क्लोनिंग का इस्तेमाल करते हैं।

झरोखा

■ खगौन से सुमित सिंह

पूरी दुनिया के साथ अपने देश में भी हर सामान पर महंगाई बढ़ी है, लेकिन शोर केवल सब्जियों के दाम बढ़ने पर ही होता है। क्या इससे किसानों को कोई लाभ होता है? सब्जियों के दाम न बढ़ें, इसके लिए व्यवस्था तंत्र को नए सिरे से सोचना होगा।

इस महंगाई का कौन जिम्मेदार?

आखिर किसान क्या करे?

बारिश न हो तो सूखे के कारण सब्जियों का उत्पादन कम हो जाता है और अगर बारिश हो जाए तो भी सब्जियां खराब हो जाती हैं। लेकिन इसका क्या हल निकाला जाए, यह शायद कोई नहीं सोचता है।

देश के कुछ राज्यों में आजकल टमाटर कम मिल रहे हैं और दाम बढ़ गया है। यह किसी एक सब्जी की बात नहीं है, कभी प्याज तो कभी अन्य सब्जियों के दाम भी बढ़ते हैं। हालांकि दूसरे सामानों के दाम बढ़ते हैं तो इतना शोर नहीं मचता।

चिट्ठी 1

कृषि प्रधान देश में सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी और किसानों की दयनीय दशा सचमुच शर्मनाक और निंदनीय है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों के लिए सरकारें बहुत से तर्क दे सकती हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है, उनमें मुख्य रूप से इनके स्टोरेज के लिए सरकार द्वारा उचित प्रबंध न होना भी हो सकता है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि किसान ने सब्जियों की पैदावार इसलिए भी कम करना शुरू कर दिया हो कि अगर सब्जियों की समय पर बिक्री नहीं हुई तो वे सड़ जाएंगी और किसानों को नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा सब्जियों के महंगे होने का कारण कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, जमाखोरी, कुदरत का कहर यानी दिन-प्रतिदिन बिगड़ता मौसम का चक्र और केंद्र तथा राज्यों सरकारों की लंबे समय से की जा रही लापरवाही भी जिम्मेदार हो सकती है। कुदरत के आगे इन्सान अभी तक बौना है, इसलिए कुदरत के कहर से फसलों को बर्बाद होने से बचाने के लिए सरकार को गंभीरता दिखानी होगी। केंद्र और राज्य सरकारों को यह मूल्यांकन करना होगा कि सब्जियों के बढ़ते दामों के लिए कौन सी नीतियां जिम्मेदार हैं और फिर उनमें जल्द से जल्द सुधार करना होगा।

■ राजेश कुमार चौहान, जालंधर

'अच्छे' मुसाफिर बनें

रोजमर्रा की भाग-दौड़ में मेट्रो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। हर दिन लगभग 7 लाख लोग मेट्रो से सफर करते हैं। इस सफर के दौरान व्यक्ति मानसिक शांति चाहता है। मेट्रो में भी लगातार अनाउंसमेंट होता रहता है कि ऊंची ध्वनी में संगीत न बजाएं, इससे अन्य यात्रियों को परेशानी हो सकती है।

चिट्ठी 2

इसके बावजूद कई लोग इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं और अपने मोबाइल में तेज आवाज में या तो कोई टीवी शो देखते हैं या कोई न्यूज डिबेट सुनने लगते हैं। उनके फोन की इस आवाज से अन्य यात्रियों को परेशानी होती है और वे अपने कार्य पर ध्यान नहीं दे पाते। जो लोग थकी हुई आंखों के साथ ऑफिस से वापस जा रहे होते हैं, उन्हें फोन से निकलने वाली यह तेज आवाज क्रोधित और परेशान कर सकती है। यात्रियों की इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बेंगलुरु पुलिस ने मेट्रो में तेज गाने बजाने या मोबाइल का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। दिल्ली मेट्रो की खबरों में तेज आवाज में फोन चलाने के कारण होते झगड़े अब आम बात बनती जा रही है। इस तरह के झगड़ों से बचने के लिए लोगों को यह समझना होगा कि अपनी सुविधा के लिए दूसरों को नहीं सता सकते। जब भी मेट्रो में सफर करें तो ईयरफोन का इस्तेमाल करें या फिर आवाज को इतना धीमा रखें कि किसी दूसरे यात्री को तकलीफ न हो। इस देश के समझदार नागरिक बनें और दूसरों का भी ख्याल रखें।

■ सृष्टि गुलाटी, गुरुग्राम

नाइट शिफ्ट और हमारी सेहत

देश के महानगरों और मेगासिटीज में नाइट शिफ्ट नौकरी का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका एक कारण ज्यादा पैसा कमाने और अच्छी जिंदगी जीने की चाह है, जिससे खासकर युवा वर्ग प्रभावित हो रहा है। रात की शिफ्ट में काम करने से शरीर को प्रकृति के नियमों के विरुद्ध काम करना पड़ता है। रात में काम करने और नींद न पूरी होने के कारण तनाव पैदा होता है, जिससे मानसिक रूप से कई समस्याओं का समाना करना पड़ता है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, जैसे कि कमर और आंखों से जुड़ी बीमारियां होने लगती हैं।

चिट्ठी 3

मेगा सिटीज में बड़े पैमाने पर युवा नाइट शिफ्ट के बीपीओ और कॉल सेंटर में कार्यरत हैं, जिससे उनकी जीवन-शैली लगातार प्रभावित हो रही है। कई युवाओं में तो अवसाद का प्रभाव भी दिखाई देता है। कम उम्र में ही युवाओं को उच्च रक्त चाप, दिल की दिक्कतें, मधुमेह जैसे रोग झेलने पड़ रहे हैं। नाइट शिफ्ट में काम करने वाला शहरी युवा वर्ग कम उम्र में ही विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बड़ी-बड़ी कंपनियों को भी अपने युवा कर्मचारियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई भी छोटी या बड़ी कंपनी कर्मचारियों के अच्छे स्वास्थ्य के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। यही कंपनी और समाज, दोनों के हित में होगा। इसके लिए जरूरी है कि बड़ी कंपनियां यह तय करें कि युवाओं को नाइट शिफ्ट के कारण कोई स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न न हो।

■ विजय किशोर तिवारी, दिल्ली

इनकी चिट्ठियां भी सराहनीय रहीं

बरेली से दिलीप कुमार गुप्ता, मेरठ से हेमा हरि उपाध्याय, मिर्जापुर से सलिल पांडेय, अमरोहा से डॉ. महताब अमरोहवी, फिरोजाबाद से शैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, मोहाली से अभिलाषा गुप्ता, अंबाला से वीरेंद्र जोशी, आजमगढ़ से अवनीश कुमार गुप्ता, सीतापुर से अर्जित मिश्रा, हल्द्वानी से रति शंकर शर्मा, पटना से मुकेश कुमार मनन एवं सरिता प्रसाद, सूरत से कांतिलाल मांडेता।

हमें लिखें
abhiyan@amarujala.com

कुछ अलग

पेड़ के अंदर एक लाइब्रेरी

किताबें पसंद हों तो लोग उनके साथ रहने की तमाम वजहें ढूंढ ही लेते हैं। इसी प्रयास का नतीजा है दी लाइब्रेरी।

किताबें पसंद हों तो लोग उन्हें ही अपनी जिंदगी बना लेते हैं। ऐसा ही किया अमेरिका की एक महिला ने और अपने घर के बाहर लगे पेड़ को ही लाइब्रेरी बना दिया।

अमेरिका के इडाहो में रहने वाली शार्ली आर्मिटेज होबार्ड ने अपने घर के बाहर लगे 110 साल पुराने कॉटनवुड के पेड़ को लाइब्रेरी में बदल दिया। किताबों की शौकीन शार्ली ने यह लाइब्रेरी खुद के इस्तेमाल के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए भी खोल रखी है। शार्ली अपनी इस अनोखी लाइब्रेरी से लोगों को किताबें मुफ्त में देती हैं। शार्ली आर्मिटेज एक स्थानीय लाइब्रेरी में काम करती हैं। उन्हें किताबों का बहुत शौक है। इसके साथ ही शार्ली का प्रकृति से भी बेहद जुड़ाव है। घर के बाहर लगे पेड़ से उनका इतना लगाव है कि उन्होंने पेड़ को ही अपनी लाइब्रेरी बना दिया। पेड़ को लाइब्रेरी बनाए जाने पर शार्ली कहती हैं, वह अक्सर सोचती थी कि घर के बाहर लगे पेड़ का कैसे वह अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकती हैं। घर के बाहर लगे पेड़ को इस्तेमाल करने को लेकर शार्ली के मन में कोई विचार नहीं था। इसके लिए उन्होंने पड़ोसियों से लेकर इंटरनेट पर लोगों से राय देने को कहा। बातचीत के दौरान ही उन्हें पेड़ में लाइब्रेरी बनाने का विचार आया। उन्होंने खास तरीके से पेड़ को कटवाया, ताकि उसमें किताबें रखी जा सकें। शेल्फ को बंद करने के लिए उसमें एक सुंदर दरवाजा भी लगाया। तने के ऊपर छत लगाई। लाइब्रेरी के अंदर लाइटिंग की व्यवस्था की। सुंदरता बढ़ाने के लिए पेड़ पर लालटेन भी टांगी। लाइब्रेरी की तस्वीर को एक करोड़ से ज्यादा बार शेयर और दस करोड़ से ज्यादा कमेंट किए गए। इसमें प्रकृति, किताबें, लाइब्रेरी और ऐसे लोग शामिल हैं, जो लोगों की उनके काम को लेकर तारीफ करते हैं।

■ हरीशचंद्र पांडे, नैनीताल

उत्तर और दक्षिण का सुर-संगम

यह तस्वीर एक संगीत कार्यक्रम की है। इसमें अपने समय के जाने-माने वायलिन वादक प्रो. टीएन कृष्णन और मशहूर सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान ने सुरों की जुगलबंदी की थी।

■ जम्मू से कार्तिक पांडे

ग्रामोफोन

लक्ष्मीकांत नर्वस हुए तो आशा ने हौसला बढ़ाया

1958 में आई फिल्म 'लाजवंती' में सचिन देव बर्मन का संगीत था। वैसे तो लता मंगेशकर, दादा बर्मन की पसंदीदा गायिका थीं, लेकिन दोनों के बीच एक गीत की पुनः रिकॉर्डिंग को लेकर हुए मनमुटाव के बाद आशा भोसले, दादा की प्रमुख गायिका बन गई थीं। इस फिल्म का गीत-संगीत सुपरहिट हुआ। फिल्म का एक गीत 'कोई आया, धड़कन कहती है' की धुन तो लाजवाब ही थी। मैंडोलिन की चटकदार संगत के साथ इस गीत की आल्हाद भरी लय और आशा भोसले की अद्वितीय गायकी जादू कर जाती है। इस गीत में मैंडोलिन को लक्ष्मीकांत ने बजाया था। रिकॉर्डिंग के वक्त लक्ष्मीकांत बहुत नर्वस थे और आशा ने उनका हौसला बढ़ाकर उन्हें अपने पास खड़ा करके मैंडोलिन बजवाया था। परिणाम चमत्कृत करने वाला रहा और यह गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। इस गीत को मशहूर शायर मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था और परदे पर इसे नरगिस ने गाया था, जिसमें बलराज साहनी भी नजर आते हैं।

■ अजय विक्टर, बरेली

अश्विन के हाथ में बल्ला !

भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अश्विन को उनकी 'बॉलिंग स्किल' के लिए अधिक याद किया जाएगा। लेकिन क्रिकेट पर उनके संस्मरणों की किताब के कवर पर वह हाथ में बल्ला पकड़े हुए क्यों हैं?

जब मैंने क्रिकेट पर आर अश्विन के संस्मरणों की किताब का कवर देखा तो इस बात से चकित रह गया कि उसमें लेखक बल्ले के हैंडल को उम्मीद से अपने हाथों से पकड़े सफेद कपड़ों में बैठा है। ऐसा लग रहा है, जैसे वह विकेट गिरने का इंतजार कर रहा हो और ड्रेसिंग रूम से मैदान पर जाने के बारे में सोच रहा हो।

हालांकि मैं यह जानता हूं कि अश्विन बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन उनके संस्मरणों की किताब के प्रकाशित होने से काफी पहले लोग उन्हें स्कूली क्रिकेट में विकेट लेने के बजाय रन बनाने की क्षमता के लिए जानते थे। मैंने अश्विन को ज्यादा खेलते नहीं देखा है। मैं आमतौर पर टेस्ट क्रिकेट देखता हूं। फिर भी मैंने टीवी पर उन्हें हाथ में बल्ला लेकर खेलते हुए देखा है। मैं अपनी स्मृति में उन्हें एक तेज गेंदबाज के सामने खड़ा और गेंद को शानदार तरीके से पहुंच के पार पहुंचाते देखता रहा हूं या मैं उन्हें स्पिनर की तरफ तेजी से ट्रैक पर कूदते और गेंदबाज के सिर के ऊपर से गेंद को साइट स्क्रीन पर उछालते देखता रहा हूं।

टेस्ट क्रिकेट में अश्विन द्वारा खेली गई दो सबसे महत्वपूर्ण पारियों में इन दोनों में से कोई भी शॉट ज्यादा मायने नहीं रखता। ये पारियां वर्ष 2021 के जनवरी और फरवरी, लगातार दो महीनों में अलग-अलग मैदानों पर अलग-अलग टीमों के खिलाफ खेली गई थीं। इनमें से पहली पारी में अश्विन ने हनुमा विहारी के साथ मिलकर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण को विफल करते हुए 40 ओवर तक एक साथ खेलकर अपनी टीम को एक ऐतिहासिक ड्रॉ तक पहुंचाया। उस पारी में अश्विन या तो फ्रंट फुट पर मजबूती से प्रहार करते दिखे या बैक फुट पर चतुराई से बचाव करते। दो ओवरों के बीच में भारत के इन दो खिलाड़ियों के बीच लंबी बातचीत होती थी। दूसरी पारी अश्विन के घरेलू मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई थी। भारत ने पहली पारी में अच्छी बढ़त हासिल की थी, फिर भी दूसरी पारी में 106 रन पर 6 विकेट खो दिए थे। तब अश्विन आए और कोहली, कुलदीप, इशांत और सिराज के साथ साझेदारी करके भारत को 286 के कुल स्कोर तक पहुंचाया, जहां से आसानी से जीत मिल सकती थी। अश्विन ने खुद शतक बनाया, जिसमें ऑफ साइड पर कोई बैकफुट फोर्स नहीं थी, केवल कुछ डिफेंसिव ड्राइव्स और एकाध लॉफ्टेड शॉट थे, लेकिन स्वभावर के पीछे और सामने बहुत सारे शानदार स्ट्रोक थे।

सिर्फ मैं ही नहीं, जो लोग उनकी किताब खरीदेंगे, वे भी जानते हैं कि अश्विन बल्लेबाजी कर सकते हैं। फिर भी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अश्विन को उनकी 'बॉलिंग स्किल' के लिए अधिक याद किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि 500 से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले अनिल कुंबले के अलावा किसी अन्य की तुलना में भारत के लिए सबसे अधिक टेस्ट मैच जीतने वाले व्यक्ति ने अपने संस्मरणों की किताब क्यों प्रकाशित की, उसे प्रचारित किया और उसके कवर पर खुद को बल्ला पकड़े हुए क्यों दिखाया? मैं अश्विन से कभी नहीं मिला, लेकिन मैंने उनके बारे में जो कुछ पढ़ा और सुना है, उससे लगता है कि वह दृढ़ और विचारवान व्यक्ति हैं। इसलिए यह काफी हद तक निश्चित है कि यह तस्वीर प्रकाशक

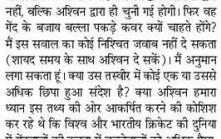

रामचंद्र गुहा
जाने-माने इतिहासकार

या लेखक के लेखन सहयोगी सिद्धार्थ मोंगिया द्वारा नहीं, बल्कि अश्विन द्वारा ही चुनी गई होगी। फिर वह गेंद के बजाय बल्ला पकड़े कवर क्यों चाहते होंगे? मैं इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं दे सकता (शायद समय के साथ अश्विन दे सकें)। मैं अनुमान लगा सकता हूं। क्या उस तस्वीर में कोई एक या उससे अधिक छिपा हुआ संदेश है? क्या अश्विन हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे कि विश्व और भारतीय क्रिकेट की दुनिया में गेंदबाजों की तुलना में बल्लेबाजों को अधिक पैसा, प्रसिद्धि, प्रशंसक, टीवी विज्ञापन, 'प्लेयर ऑफ द मैच' एवं 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' पुरस्कार, सेल्फी और ऑटोग्राफ के लिए अधिक अनुरोध मिलते हैं?

क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज लाड़-प्यार से पाले जाने वाले अभिजात वर्ग की तरह हैं और गेंदबाज अतिश्रम से पीड़ित अधीनस्थ। क्या अश्विन तस्वीर के माध्यम से अपनी बात को अधिक सूक्ष्मता और संवेदनशीलता से कह रहे हैं? मैंने इस बारे में लिखा है कि क्रिकेट के खेल में मैच जिताने वाले बल्लेबाज, मैच जिताने वाले गेंदबाजों की तुलना में कहीं ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। निराशाजनक रूप से यह भेदभाव सिर्फ पैसे के मामले में नहीं, उससे कहीं आगे तक जाता है। बल्लेबाज स्टीव वॉ और रिकी पोंटिंग ने क्रमशः 57 और 72 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की, जबकि शेन वॉर्न को कभी भी यह जिम्मेदारी नहीं दी गई। वॉर्न एक शानदार क्रिकेट रणनीतिकार थे और मुझे कोई संदेह नहीं है कि वे वॉ या पोंटिंग से भी अधिक सफल टेस्ट कप्तान होते। यह पूर्वाग्रह भारतीय कप्तान के चयन में भी मौजूद है। विराट कोहली ने 68 और रोहित शर्मा ने 16 टेस्ट मैचों में भारत का नेतृत्व किया है, जबकि अश्विन ने कभी भारत की कप्तानी नहीं की है। इसका आंशिक कारण यह भी हो सकता है कि पहले वाले दोनों बल्लेबाज हैं, जबकि अश्विन मुख्य रूप से एक गेंदबाज हैं। हम जानते हैं कि अश्विन देश के सबसे बुद्धिमान क्रिकेटरों में से एक हैं। यह निश्चित रूप से तय है कि अगर चेन्नई के इस खिलाड़ी को अपने देश की कप्तानी करने का मौका मिलता तो वह इसमें अच्छा प्रदर्शन करते, क्योंकि इंग्लैंड के रे इलिंगवर्थ और ऑस्ट्रेलिया के रिची बेनॉड के उदाहरण बताते हैं कि स्पिन गेंदबाज बेहतरीन टेस्ट कप्तान बन सकते हैं।

मुझे नहीं लगता है कि अश्विन द्वारा कवर पर फोटो का चयन उनकी कप्तानी की महत्वाकांक्षाओं के बारे में किसी तरह का संकेत है। ऐसा लगता है कि वह हमें मैदान पर और मैदान के बाहर बल्लेबाजों और गेंदबाजों के साथ व्यवहार करने के तरीकों में सामान्य पूर्वाग्रहों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। एक तीसरा कारण यह हो सकता है कि अश्विन को वास्तव में बल्लेबाजी करना पसंद है। वैसे, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले को भी बल्लेबाजी करना पसंद था। शेन वॉर्न को इस बात का हमेशा अफसोस रहा। उन्होंने 12 टेस्ट में अर्धशतक बनाए, लेकिन उनका उच्चतम स्कोर 99 रन रहा। हालांकि लोगों को यह बात जरूर याद रखनी चाहिए कि उन्होंने कम से कम एक बार ऐसा मुकाम हासिल किया, जिसे उनके महान ऑस्ट्रेलियाई समकालीन हासिल करने में असफल रहे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वॉर्न द्वारा लिखी गई पांच पुस्तकों में से केवल दो में उनका चेहरा है, जबकि तीन में उन्हें गेंदबाजी करते या विकेट लेते दिखाया गया है। हम कुंबले द्वारा लिखे गए संस्मरण का इंतजार कर रहे हैं। जब भी वह आएगा तो उसके कवर पर 619 टेस्ट विकेट लेने वाले खिलाड़ी की तस्वीर बल्ला थामे हुए होने की संभावना नहीं है।

अब जबकि मैंने इसे पढ़ लिया है, मैं पुष्टि कर सकता हूं कि कम से कम एक अंश मेरे विश्लेषण की पुष्टि करता है कि पुस्तक का कवर ऐसा क्यों है। लेखक की बातों से वह अंश शुरू होता है, "आखिरकार गेंदबाज से बल्लेबाज बने और फिर कोच बने डब्ल्यूवी रमन के साथ एक और बातचीत होती है। मैं उन्हें वही बताता हूं, जो मैं इंमानदारी से महसूस करता हूं। गेंदबाजों को बल्लेबाजों द्वारा ब्लू कॉलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों है कि अगर कोई गेंदबाज खराब गेंद फेंकता है तो उसे नेट्स में बल्लेबाज को माफी मांगती पड़ती है और अगर बल्लेबाज खराब शॉट खेलता है तो वह माफी नहीं मांगता है?"

तीसरी बार पेरिस में ओलंपिक का जश्न

ओलंपिक का आयोजन हर चार साल बाद होता है। इस बार पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ओलंपिक का आयोजन होगा। लॉस एंजिल्स और लंदन के अलावा पेरिस एकमात्र ऐसा शहर है, जिसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की तीन बार मेजबानी की है। इस बार का ओलंपिक कुछ अलग है। पेरिस ने इसे खास बनाने के लिए पिछले 10 साल से कई तरह की खास तैयारियां की हैं।

डॉ. विशिष्ठ एम.सी.

खुला आकाश

लॉस एंजिल्स और लंदन के अलावा पेरिस एकमात्र ऐसा शहर है, जिसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की तीन बार मेजबानी की है। इस बार ओलंपिक में चार नए खेलों को जोड़ा गया है।

पेरिस ओलंपिक में चार नए खेलों को जोड़ा गया है। इस बार ब्रेकडांसिंग का ओलंपिक में डेब्यू होगा। वहीं, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग भी ओलंपिक में शामिल हुए हैं। कुछ खेल ओलंपिक का हिस्सा नहीं भी होंगे। इसमें कुल 329 स्पर्धाएं होंगी, जिनमें 184 देशों के लगभग 10,500 एथलीट भाग लेंगे।

2024 पेरिस ओलंपिक के मेडल का डिजाइन भी शानदार है। गोल्ड मेडल का वजन 529 ग्राम, सिल्वर मेडल का वजन 525 ग्राम और ब्रॉन्ज मेडल का वजन 455 ग्राम होगा। पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी सेरी नदी पर होगी। सैकड़ों एथलीट नाव से नदी को पार करेंगे और एफिल टावर की तरफ जाएंगे। इससे पहले ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी किसी विशाल मैदान या स्टेडियम में होती थी।

ओलंपिक का आयोजन ग्रीस के प्राचीन शहर ओलंपिया में हुआ था। उस समय यह केवल खेल समारोह नहीं, बल्कि एक धार्मिक उत्सव भी था। प्राचीन ग्रीस में ओलंपिक का मुख्य उद्देश्य शांति को बढ़ावा देना था। कभी एक दिवसीय कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ ओलंपिक बाद में 5 से 7 दिनों तक चलने वाली खेल शृंखला के तौर पर विकसित हुआ। शुरुआत में ओलंपिक में सिर्फ दौड़ को ही शामिल किया गया था और इसमें केवल प्राचीन यूनानियों द्वारा बसाए गए क्षेत्र हेलास में रहने वालों को ही प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति थी। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि ओलंपिक यूनानियों को एकजुट करने का एक माध्यम था। प्राचीन ओलंपिक में महिलाओं को हिस्सा लेने की अनुमति नहीं थी। महिलाएं केवल दर्शक के तौर पर ओलंपिक में आती थीं।

बदलते समय के साथ जब ओलंपिक ग्रीस से रोम पहुंचा तो उसका रूप और स्वरूप बिल्कुल बदल गया। बाद में इसे प्रतिबंधित भी कर दिया गया। फिर पियरे दा कूबर्तिन के प्रयासों की बदौलत प्राचीन ओलंपिक को 1896 में आधुनिक ओलंपिक के रूप में पुनर्जीवित किया गया था।

दैनिक जागरण

चिंता से रूप, धन, बल और ज्ञान का नाश होता है

रोजगार के सवाल का समाधान

संजय गुप्त

यह झूठ ही है कि रोजगार के मोर्चे पर विपक्ष शासित राज्यों में चुनौती नहीं और सारी समस्या केंद्र सरकार के स्तर पर एवं भाजपा शासित राज्यों में है

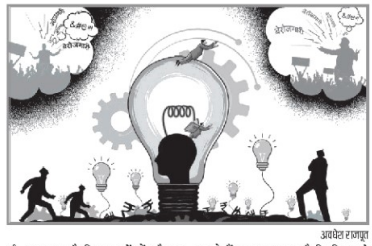

अवधेश राजपूत

बढ़त पर विपक्ष

सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव नतीजों से भविष्य के लिए कोई ठोस और निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि उपचुनाव नतीजे कटिनाई से ही भविष्य के लिए कोई स्पष्ट संकेत करते हैं। इस सबके बावजूद चूंकि इन 13 सीटों में से 10 विपक्षी दलों के खाते में गईं, इसलिए वह अपनी बढ़त का दावा करने के साथ यह प्रचारित कर सकता है कि उसने भाजपा को आईना दिखा दिया, लेकिन इन नतीजों की ऐसी कोई व्याख्या सही नहीं होगी कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन आइएनडीआइए भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए पर भारी पड़ा, क्योंकि पश्चिम बंगाल और पंजाब में तो यह गठबंधन है ही नहीं। यह हाल के लोकसभा चुनाव में भी नहीं था, फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि भाजपा विरोधी दल इन उपचुनावों में उससे आगे रहे।

जिन 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, उनमें सबसे अधिक चार सीटें पश्चिम बंगाल में थीं। इनमें से तीन भाजपा के पास थीं, लेकिन बाद में तीनों भाजपा विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। साफ है कि उपचुनावों में भाजपा तृणमूल कांग्रेस का सामना नहीं कर सकी। इसके आसार भी कम थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा था। बंगाल के बाद सबसे अधिक तीन सीटें हिमाचल प्रदेश में थीं। पिछली बार इन तीनों सीटों पर निर्दलीय विधायक जीते थे। बाद में वे त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा ने इन तीनों को चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी के रूप में उतारा था, लेकिन उनमें से एक ही जीत हासिल कर सका। चूंकि लोकसभा चुनाव में इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा बढ़त पर थी, इसलिए उसे इस पर विचार करना होगा कि ऐसे नतीजे क्यों आए? उत्तराखंड में जिन दो सीटों पर उपचुनाव हुए, उनमें से एक कांग्रेस के पास थी और एक बसपा के पास। इस बार दोनों सीटें कांग्रेस ने जीत लीं। इनमें से मंगलौर सीट तो भाजपा ने कभी नहीं जीती, लेकिन बद्रीनाथ जीत सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उपचुनावों की एक-एक सीटें बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में थीं। इनमें से बिहार की रूपौली सीट निर्दलीय प्रत्याशी ने जदयू से छीन ली। यहां का चुनाव नतीजा जदयू के साथ-साथ राजद के लिए भी झटका है। यह सीट जदयू की जिन विधायक के राजद में शामिल होने से खाली हुई थी, वह चुनाव हार गई। पंजाब में जालंधर पश्चिम सीट आम आदमी पार्टी ने अपने पास बरकरार रखी। इसी तरह तमिलनाडु की विक्रवंडी सीट भी डीएमके ने फिर से जीत ली। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पिछली बार कांग्रेस के पास थी। उपचुनाव में भाजपा ने वह उससे छीन ली। इन उपचुनाव नतीजों की चाहे जैसी व्याख्या की जाए, भाजपा को विपक्ष के इस नैरेटिव का सामना तो करना होगा कि वह उस पर भारी पड़ा।

थाली तक पहुंचे अनाज

झारखंड के खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री ने एक दिन पहले राजधानी रांची में स्थित अनाज गोदाम के औचक निरीक्षण में व्यवस्था की बदहाली देखी। जिस अनाज को गरीब की थाली तक पहुंचना चाहिए था, वह सड़कर नष्ट हो रहा है। बोरियों से भरे अनाज का वजन भी तय सीमा से कम है। यह स्थिति राज्य के खाद्य और आपूर्ति विभाग में व्याप्त लापरवाही बयां कर रही है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक ने खाद्य सुरक्षा को अपना प्राथमिकता सूची में रखा है, लेकिन इसके भंडारण और वितरण की प्रक्रिया में गंभीर खामी देखी जा रही है। इसका सीधा खामियाजा गरीब जनता को उठाना पड़ रहा है। विभागीय मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस मामले में कार्रवाई कर जिम्मेदार लोगों को नसीहत दी है, लेकिन यह कोई पहली गड़बड़ी नहीं है। जहां लोगों को समय पर अनाज नहीं मिल रहा और गरीबों को पर्याप्त अनाज नहीं उपलब्ध हो, वहां अनाज का बर्बाद होना दुखद है। सरकार हजारों करोड़ रुपये की लागत से अनाज खरीदती है। गोदाम के अंदर इसे रखने के लिए मानक बनाया गया है। तकनीक की मदद से भी अनाज के संरक्षण और वितरण पर नजर रखी जाती है, लेकिन इस पूरे तंत्र का गैरजिम्मेवाराना रवैया समय-समय पर सामने आता रहा है। अगर गोदाम में रखे अनाज को जेसीबी की मदद से जमीन से निकालना पड़ रहा है तो यह कहीं से भी सही नहीं माना जा सकता। यही अनाज लोगों के भोजन का हिस्सा बनने वाला था। इसे खाने से लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर हो सकता था। अब राज्य सरकार और विभाग इससे सबक लेते हुए भंडारण की खामियों को दूर करने का प्रबंध करे।

गोदाम में रखे अनाज को जरूरतमंद की थाली तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए पूरे तंत्र को दुरुस्त करने की आवश्यकता है

लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस मोदी सरकार के प्रति किस तरह हमलावर है, इसका प्रमाण पिछले दिनों तब फिर मिला, जब राहुल गांधी ने गुजरात में नौकरी के लिए साक्षात्कार देने आए युवाओं की भीड़ का उल्लेख करते हुए कहा कि बेरोजगारी महामारी बन गई है और भाजपा शासित राज्य बेरोजगारी के गढ़ बन गए हैं। स्पष्ट है कि वह यह माहौल बनाना चाहते हैं कि रोजगार के मोर्चे पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में कोई चुनौती नहीं और सारी समस्या केंद्र सरकार के स्तर पर और भाजपा शासित राज्यों में है। ऐसा कोई आकलन झूठ ही कहा जाएगा, पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अब झूठ का भी सहारा ले रहे हैं। कुछ दिनों पहले गोरखपुर में एक युवा की आत्महत्या पर भी विपक्षी नेताओं की ओर से यही झूठ फैलाया गया कि उसने नौकरी चली जाने के कारण आत्महत्या कर ली, जबकि उसने पारिवारिक कारणों से नौकरी छोड़ी थी।

भले ही भाजपा ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए यह कहा हो कि वह रोजगार के मामले में लगातार झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं। भाजपा और साथ ही उसकी केंद्र एवं राज्य सरकारों को इस झूठी धारणा के खिलाफ सक्रिय होना होगा कि रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। यह धारणा तथ्यों के विपरीत है। हाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक अध्ययन में यह कहा गया कि मोदी सरकार के दस साल के शासनकाल में मनमोहन सरकार की तुलना में कई गुना अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए। कुछ दिनों पहले रिजर्व बैंक ने एक विदेशी संस्था के आकलन को खारिज करते हुए यह बताया था कि पिछले वर्ष किस तरह 4.67 करोड़ नौकरियां बढ़ीं। रिजर्व बैंक के अनुसार बीते वित्त वर्ष तक देश में कुल नौकरियां बढ़कर 64 करोड़ से अधिक हो गईं हैं, जबकि उसके पिछले वर्ष उनकी संख्या करीब 60 करोड़ थी।

यह सही है कि रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने की आवश्यकता है, लेकिन इस आवश्यकता की पूर्ति करना केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं। इसकी पूर्ति तो केंद्र और राज्यों, दोनों को मिलकर करनी होगी। इसके लिए दोनों को निजी क्षेत्र का सहयोग लेना और देना होगा। उन्हें यह देखना होगा कि वे कौन से क्षेत्र हैं, जहां रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सकते हैं। निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा करके ही सरकारी नौकरियों के आकर्षण को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि युवाओं में कौशल विकास किया जाए। इसकी आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि आज हुनर वाले कार्यों की जरूरत बढ़ गई है। अपने देश में ऐसे डिग्रीधारी युवाओं की संख्या बढ़ रही है, जिनके पास किसी तरह का हुनर नहीं और जिनकी शिक्षा-दीक्षा का स्तर ऐसा है कि उनमें से अनेक तो ढंग से एक आवेदन पत्र भी नहीं लिख सकते। एक समस्या यह भी है कि हुनर वाले अनेक कार्यों को या तो छोटा काम समझा जाता है या उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है। इसी कारण कई उद्योग-धंधों को जैसे हुनरमंद युवाओं की आवश्यकता है, वैसे उन्हें नहीं मिल पाते। स्पष्ट है कि सामाजिक स्तर पर कहीं न कहीं यह संदेश देना होगा कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता और देश को सामान्य डिग्रीधारी युवाओं के मुकाबले हुनरमंद युवाओं की जरूरत अधिक है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि फिक्की और सीआइआइ जैसे संगठन यह कहते रहे हैं कि उन्हें जैसे कार्यकुशल युवा चाहिए, वैसे नहीं मिल पा रहे हैं। इसका मतलब है कि शिक्षा को कौशल विकास से जोड़ना होगा। क्या यह काम हो पा रहा है?

निजी क्षेत्र में रोजगार के और अधिक अवसर कैसे पैदा हों, इसके लिए पक्ष-विपक्ष के राजनीतिक दलों को मिलकर कार्य करने की जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य से विपक्षी दलों ने यह माहौल बना रखा है कि रोजगार के अवसर पैदा करना केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। चूंकि अपने देश में स्वरोजगार और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों के सही आंकड़े नहीं मिल पाते, इसलिए यह माहौल बनाने में आसानी होती है कि रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं बन रहे हैं। नौकरियों के मामले में यह धारणा हमारे समाज में भी व्याप्त है कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी होता है। विपक्षी दल भी यह माहौल बनाते हैं और इसी कारण हर कोई सरकारी नौकरी की ताक में रहता है। इस सच को सभी को स्वीकारना होगा कि कोई भी सरकार हो, वह हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। इतनी सरकारी नौकरियां हैं ही नहीं कि सभी को समाहित किया जा सके। सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण का एक बड़ा कारण यह मान्यता भी है कि ये नौकरियां सुरक्षा की गारंटी और आरामतलबी का पर्याय होती हैं। कुछ तो इन्हें अतिरिक्त कमाई का साधन मानकर चलते हैं। चूंकि औसत सरकारी कर्मचारी जवाबदेही से मुक्त हैं और उनके कार्यों का मूल्यिकन से ही आकलन होता है, इसलिए वे अपने काम के प्रति वैसी लगन और प्रतिबद्धता नहीं दिखाते, जैसी आवश्यक है। यही कारण है कि उनकी उत्पादकता कम है और शायद इसी वजह से अब केंद्र और राज्य सरकारों के अनेक विभाग आउटसोर्सिंग का सहारा लेने लगे हैं अथवा अनुबंध पर नौकरियां देते हैं। इसका एक कारण औसत सरकारी कर्मचारियों में जवाबदेही का अभाव भी है। यह किसी से छिपा नहीं कि अपने देश में यदि किसी को सरकारी नौकरी मिल जाती है तो वह तब भी चलती रहती है, जब संबंधित व्यक्ति अपना काम सही तरीके से नहीं करता।

यह सही समय है कि सरकारी नौकरियों को कार्यकुशलता एवं दक्षता की कसौटी पर कसा जाए। उचित यह होगा कि सरकारें ऐसी सेवा शर्तें बनाएं, जिससे सरकारी कर्मचारी जवाबदेह एवं जिम्मेदार बन सकें और जो यह मानकर चलते हैं कि ये नौकरियां आरामतलबी का पर्याय हैं, उन्हें यह आभास हो सके कि सरकारी कर्मचारी के रूप में यदि वे अपना काम सही तरह नहीं करेंगे तो निजी क्षेत्र के कर्मियों की तरह उनकी भी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ऐसा करके ही सरकारी नौकरियों के प्रति अनावश्यक चाहत को कम किया जा सकता है।

response@jagran.com

गठबंधन के खूंटे से बंधी राजनीति

हास्य-व्यंग्य यह गठजोड़ और गठतोड़ की राजनीति का समय है। शादी बाले गठबंधन में तो सात जन्मों तक साथ निभाने का वचन भर जाता है, लेकिन राजनीतिक दलों के गठबंधनों में सात दिनों तक भी साथ में बने रहने की गारंटी नहीं होती है। दलों के गठबंधन टिकाऊ भले ही न हों, उनके बिकाऊ होने का खतरा बराबर बना रहता है। गठबंधन हमारे जीवन का वह खूंटा है, जिससे बंधने से कम लोग ही बच पाते हैं।

सूर्यकुमार पांडेय

दलों के गठबंधन टिकाऊ भले ही नहीं, उनके बिकाऊ होने का खतरा बराबर बना रहता है

सच कहूं तो मेरे जीवन की प्राथमिकताओं में भी राजनीति और विवाह ही प्रमुख रहे हैं। मैं जब से बालिग हुआ हूं, दो ही किस्म की तमन्नाएं संजोए हुए हूं। पहली, किसी कमाऊ कन्या का चुनाव कर उससे गठबंधन करने की और दूसरी, किसी भरोसेमंद पार्टी का टिकट हथियाकर चुनाव में खड़ा होने की। मेरे दोनों इरादे अभी तक कुंवारे हैं। मैं अब तक न किसी रोजगार प्राप्त कन्या का हाथ थाम पाया हूं और न ही एक भी विश्वसनीय राजनीतिक दल मेरे हाथ लग पाया है। संकट है और मैं इसमें अक्सर की तलाश में लगा हूं। मेरे एक मित्र कहते हैं, 'अविवाहित रह कर तो तब भी जिया जा सकता है, मगर जिसके दिल में एक बार एमपी-एमएलए वगैरह बनने की हुड़क जाग जाए, वह इश्क का मारा, न चैन से जी पाता है, न ही मर पाता है। यह एक ऐसी अनंत प्यास है, जो समूचा समंदर सोखने के बाद मृत्यु के पश्चात भी शांत नहीं होती है। भले ही वह हमें दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन प्रत्येक कुर्सी के इर्दगिर्द अतृप्त आत्माओं की खोपड़ियां मंडराती ही रहती हैं। इधर जीवित लोग सत्ता और पद के लिए सिर पटकते हैं। जिनको कुर्सी मिल जाती है, उनकी जब जयकार होने लगती है और जो इससे वंचित हो जाते हैं, वे सरकार की हर बात का विरोध करने लग जाते हैं।

इस बार के लोकसभा चुनाव में मैं अपनी दूसरी वाली तमन्ना पूरी करना चाहता था। मैं हमेशा की तरह तमाम कोशिशें करता रहा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की तो दूर, जिला स्तर की भी किसी राजनीतिक पार्टी ने घास नहीं डाली। वैसे भी इस हार्स ट्रेडिंग के जमाने में अब घास नहीं, हरे पत्ते खिलाने का चलन है। हर तरफ से धकियाए जाने के बाद मैंने एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन-पत्र दाखिल करने की हिम्मत की, लेकिन कोई प्रस्तावक तक नहीं मिला। एक-दो को पटाया भी, मगर उनके अपने नाम ही बोटर लिस्ट में नहीं थे। वे लोग मुझसे ही अपेक्षा कर रहे थे कि मैं किसी जुगाड़ से उनको ईवीएम माता के दर्शन करा दूं। मैंने उनसे कहा, 'चलो, पहले आप लोगों को मंदिर के दर्शन करा लाता हूं। हो सकता है, कृपा वहीं पर अटकी हुई हो।' वे लोग समझदार थे। उनको मेरी हैसियत का अंदाजा हो गया था। वे मुझको लगभग दुत्कारते हुए कहने लगे, 'अपनी राजनीति में धर्म को मत लाओ। बस, हमें मतदाता बनवा दे।' मैं आज तक अपना राशन कार्ड तो बनवा नहीं पाया, उनका वोटर कार्ड क्या ही बनवा पाता? मुझे मन मसोसकर रह जाना पड़ा। काश, मैं शादीशुदा होता, तो कम-से-कम मेरे ससुराल वाले ही प्रस्तावक बन जाते। और तो और, इस बार बहुत सारी पार्टियां महिलाओं को प्रत्याशी बनाना चाहती थीं। मेरे शुभचिंतक भी कहते हैं, 'तुम्हारे घर में भी एक नारी-शक्ति होती तो हम लोग मिल-जुलकर कोशिश करते और भाभी जी को टिकट दिलवा देते। फिर वह लड़तीं और जीततीं। अब चाहे वह बिजयी होतीं या तुम, बात तो एक ही थी।'

पिछले वर्षों में ग्राम पंचायत के चुनाव में कितनों ने अपनी पत्नियों को ग्राम प्रधान बनवा दिया। खुद पत्नी के दस्तखत बनाकर ग्राम प्रधानी कर रहे हैं। भला पत्नियों से बढ़कर विश्वसनीय और कौन मिल सकता है? वे कम पढ़ी हों तो और बढ़िया। जहां चाहो, अंगूठा लगवा लो। कोई ऊंच-नीच हो जाए, तो वे कहेंगी, 'हमें क्या मालूम। उन्होंने जहां कहा था, वहां पर छापा लगा दिया। वह तो गठबंधन के पहले ही मेरा हाथ मांग ले गए थे।'

response@jagran.com

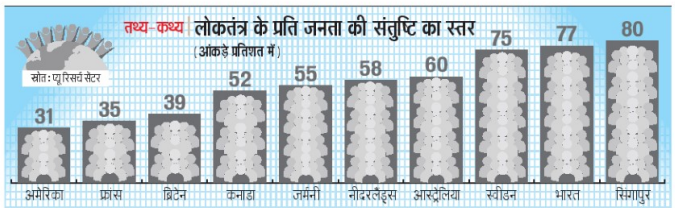

ऊर्जा

सम्मान

प्रत्येक व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है। अल्प बुद्धि, उथले ज्ञान और प्रभु में पूर्ण आस्था न होने के कारण अनेक व्यक्तियों को स्वयं तथा दूसरों में ईश्वरीय तत्व का बोध नहीं हो पाता। यह स्थिति उन्हें आत्म-सम्मान बनाए रखने, स्वयं के प्रति आश्वस्त रहने और जीवन के बहुविध आनंद उठाने में बाधक बनती है। दूसरे को सम्मान देने वाला अपने सम्मान का मार्ग प्रशस्त करता है।

प्रतिष्ठा, संपन्नता या बल के आधार पर या दूसरे को भय दिखा कर बनावटी सम्मान मिलता है। असल सम्मान हृदय से उपजता है। सम्मान देने की प्रक्रिया में भाव प्रधान है। इसमें आडंबर के लिए स्थान नहीं है। ''मैं आपका सम्मान करता हूं'' कहने से किसी को सम्मान नहीं दिया जाता। भाव-भंगिमा, बोलने की शैली और व्यवहार से झलक जाता है कि आप दूसरे को सम्मान देते हैं। सम्मान और प्रेम संबंधों की धुरी हैं। ये जीवन को अर्थ देते हैं। इनके अभाव में व्यक्ति की आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है। सम्मान देने और पाने वाले, दोनों धन्य होते हैं।

सृष्टि का नियम है, जो देंगे-सम्मान, प्रसन्नता, सुख, आश्रय, प्रेम या फिर तिरस्कार कष्ट, दुख, घृणा, वैमनस्य-वही आपको लौट कर वापस मिलेंगे। दूसरों का सम्मान करेंगे तो हमारा जीवन तनावरहित, सुख-शांति से बीतेगा। यह नियम स्वयं पर भी लागू है। स्वयं को हेय मान लेंगे तो दूसरों की श्रेष्ठजनों की श्रेणी में नहीं रहेंगे। सम्मान आदेश दे कर नहीं मिलता, अपने आचरण और व्यवहार से अर्जित किया जाता है। आप कितना भी ज्ञानी या साधन-संपन्न हों, सम्मान तभी मिलेगा जब आप दूसरों के हित में सोचेंगे, करेंगे। दूसरों की आवश्यकता के अनुरूप जब आप उन्हें देते हैं तो उनके सम्मान के भागी बनते हैं। जो आपको कोई लाभ नहीं दे सकता उसे सम्मान देना उच्चतम श्रेणी का कार्य है। जीवन बहुत लंबा नहीं है, प्रत्येक क्षण का सम्मान करें।

हरीश बड़थ्वाल

सौरमंडल के बाहर जीवन की संभावना

मुकुल व्यास

पृथ्वी से 50 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित आंख की पुतली जैसा ग्रह जीवन के लिए आवास योग्य हो सकता है। खगोल विज्ञानियों का कहना है कि यह ग्रह हमारे सौरमंडल के बाहर तरल पानी की संभावनाओं से युक्त दिख रहा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पता लगाया है कि कई खल पहले खोजे गए इस बाहरी ग्रह के मध्य में आंख की पुतली जैसा ठोस बर्फ का समुद्र है। एलएचएस-1140बी नामक इस बाहरी ग्रह की खोज सबसे पहले 2017 में हुई थी। शुरू में इसे पानी, मीथेन और अमोनिया के घने मिश्रण वाला 'मिनी-नेप्च्यून' माना गया था, लेकिन नए निष्कर्षों से पता चलता है कि यह ग्रह विज्ञानियों के अनुमान से कहीं ज्यादा बर्फीला और तरबतर है। इसका अर्थ यह है कि वहां की परिस्थितियां जीवन के लिए सहायक हो सकती हैं।

मॉंट्रियल विश्वविद्यालय के विज्ञानी चार्ल्स कैडियू का कहना है कि इस समय ज्ञात सभी बाहरी समशीतोष्ण ग्रहों में

समशीतोष्ण ग्रह से आशय एक ऐसे ग्रह सेहै, जो तापमान की दृष्टि से जीवन के लिए आवास योग्य है

एलएचएस-1140बी ग्रह हमारे सौरमंडल से परे एक पारलौकिक दुनिया की सतह पर तरल पानी की अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि करने के लिए सबसे अच्छा अवसर प्रदान कर सकता है। समशीतोष्ण ग्रह से आशय एक ऐसे ग्रह से है, जो तापमान की दृष्टि से जीवन के लिए आवास योग्य है। इस बाहरी ग्रह का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ताओं ने जेम्स वेब टेलीस्कोप के नियर-इन्फ्रारेड इमेजर और स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग किया। ये उपकरण टेलीस्कोप को ग्रह की विशेषताओं का आकलन करने में सक्षम बनाते हैं। तारे से आने वाला प्रकाश ग्रह के वायुमंडल से होकर पृथ्वी तक पहुंचता है। खगोलविदों ने अवशोषित प्रकाश की वेव लैंथ को देखकर इस ग्रह पर नाइट्रोजन के संकेत देखे, जो पृथ्वी के वायुमंडल में एक प्रमुख घटक है। ग्रह बहुत घना नहीं है। अतः इस ग्रह के चट्टानी होने की संभावना नहीं है। ग्रह का अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन शोधकर्ताओं ने पाया कि आंख की पुतली जैसे हिस्से पर सतह का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यह तापमान बर्फीली दुनिया पर समुद्री जीवन के लिए रहने योग्य जलाशय बनने के लिए पर्याप्त रूप से गर्म है।

टेलीस्कोप को इस ग्रह पर पृथ्वी जैसे वायुमंडल का पता लगाने के लिए अपनी अधिकतम क्षमताओं का उपयोग करना होगा। ग्रह पर वायुमंडल का पता लगाना संभव है, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता है। नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल का संकेत अधिक डाटा के साथ पुष्टि की मांग करता है। इसके लिए कम से कम एक और वर्ष के अवलोकन की आकलन करने में सक्षम बनाते हैं। तारे से आने वाला प्रकाश ग्रह के वायुमंडल से होकर पृथ्वी तक पहुंचता है। खगोलविदों ने अवशोषित प्रकाश की वेव लैंथ को देखकर इस ग्रह पर नाइट्रोजन के संकेत

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

नेताजी से मिलते जाना

कहा जाता है कि लोग उगते सूरज को ही सलाम करते हैं, लेकिन नेता तो इससे भी दो कदम आगे हैं। वे उगते सूरज का इंतजार नहीं करते, बल्कि संभावनाओं की लालिमा देखकर ही दंडवत होने लगते हैं। उनकी फितरत को इस प्रसंग से समझा सकता है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब चूंकि वह केंद्र में मंत्री बन गए हैं तो इन अटकलों ने और जोर पकड़ लिया है कि अगला अध्यक्ष कौन? दौड़ में कुछ नाम चर्चा में हैं, जिनके दफ्तर के बाहर मिलने वालों की भीड़ बढ़ गई है। हाल में एक राष्ट्रीय पदाधिकारी के पास मध्य प्रदेश के कुछ नेता आए। पदाधिकारी के सहयोगी ने तपाक से पूछा- नेताजी से मिल लिए? उन्होंने मना किया तो गुरुमंत्र दिया कि नेताजी अध्यक्ष पद की दौड़ में आगे हैं। हाय-हैलो करते रहो, क्या पता कि कल यही अध्यक्ष बन जाएं। दुआ-सलाम की यह सलाह महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले पार्टी के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी के लिए थी।

कठिन परीक्षा

संसद बजने के बाद अक्सर राजनेता इतराते दिखते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सांसद इन दिनों कड़ी परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। उनके सामने हर पल खुद को सतर्क और सक्रिय दिखाने की चुनौती है। वजह संसद

राजरंग

के दोनों ही सदनों में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी है। लोकसभा जहां खुद राहुल गांधी की मौजूदगी रहती है, वहीं राज्यसभा में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे की मौजूदगी रहती है। ऐसे में दोनों ही सदनों में शीर्ष नेतृत्व के सामने पार्टी सांसद अपनी सक्रियता दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। इन सभी में इसे लेकर जबरदस्त होड़ सी लगी है। हाल में संसद सत्र के दौरान पार्टी सांसदों की अचानक से बढ़ी इस सक्रियता को सभापति ने भी नोटिस किया। उन्होंने सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घुमा फिराकर यह कहने से नहीं चूके कि हम देख रहे हैं कि इस बार सदन में किसी सदस्य के आने के बाद बाकी सदस्यों को रवैया बदला-बदला है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस सांसदों के बीच शीर्ष नेतृत्व के सामने खुद को सक्रिय दिखाने की यह होड़ कितनी लंबी चल पाती है।

बढ़ता संशय

भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर संशय बढ़ता जा रहा है। जेपी नड्डा का कार्यकाल लोकसभा चुनाव को देखते हुए 30 जून तक बढ़ाया गया था। माना जा रहा था कि जनवरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक के लिए किसी को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जैसा कि 2014 में अमित शाह और 2019 में जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बना कर किया गया था, लेकिन अभी तक कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं देखी जा रही है। इस बीच सभी राज्यों के प्रभारियों की भी नियुक्ति कर दी गई है। नड्डा राज्यों की कार्यसमिति की बैठकें ले रहे हैं। 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू होने को देखते हुए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति का फैसला टलने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा नेताओं का एक वर्ग नए अध्यक्ष के चुनाव तक जेपी नड्डा के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने का दावा कर रहा है, लेकिन इस दावे के बीच पार्टी में कोई भी नेता भरोसे से कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं है।

एक साथ दोकाज

नए कृषि मंत्री शिवराज सिंह कार्यभार संभालने के बाद रहे तो कहीं भी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने अस्थायी निवास के तौर पर आईसीआर के पूसा संस्थान का ही चयन किया। एक महीने से भी ज्यादा का समय हो गया और वह वहीं से अपना काम कर रहे हैं। इससे काफी कौतूहल भी है। बताया जा रहा है कि यह फैसला उनका स्वयं का है। वह मानते हैं कि भारत के कृषि क्षेत्र की नब्ज समझने और इसे आधुनिक बनाने की सीख लेने के लिए इस विश्वस्तरीय संस्थान से बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती। पूसा इंस्टीट्यूट न सिर्फ कृषि क्षेत्र में अपने शोध, बल्कि कृषि भवन में होने वाली राजनीति के लिए भी प्रख्यात है। जानकार बता रहे हैं कि कृषि मंत्री एक पंथ-दो काज कर रहे हैं। एक तरफ तो कृषि क्षेत्र का अध्ययन हो रहा है और दूसरी ओर कृषि से जुड़ी राजनीति के दांव-पेंच को भी समझा जा रहा है।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर-कॉर्पोरेट मोहन गुप्त, प्रकाशक संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए नीलेश ट्रीवाल्या द्वारा 501, आई.एन.ए एक्स, बिल्डिंग, लोधी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और इन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) : विनय झमनमल त्रिपाठी *
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। यात्रस्तावित्बाद दिल्ली-न्यायालय के अधीन ही होगी। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

जब यह स्पष्ट हो जाए कि लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है तो लक्ष्यों को न बदलते हुए अपने कार्य करने के तरीके को बदलें।
- कन्फ्यूशियस

सवालों के जवाब कौन देगा?

दूसरी नजर
पी चिदंबरम

'आपराधिक कानून' संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम हैं। निस्संदेह, अगर संसद द्वारा बनाया गया कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून एक-दूसरे के प्रतिकूल हैं, तो संविधान का अनुच्छेद 254 लागू होगा।

संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के बहिर्गमन के पश्चात हुई बहस के बाद (अच्छे कारणों से), भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को बदलने (और फिर से लागू करने) के लिए तीन विधेयक पारित किए गए। नए विधेयकों के नाम हिंदी (या संस्कृत) में थे, यहां तक कि उनके अंग्रेजी संस्करणों में भी। राष्ट्रपति ने विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी और सरकार ने अधिसूचित कर दिया कि नए कानून एक जुलाई, 2024 से लागू होंगे।

नए कानूनों का कई ओर से कड़ा विरोध हो रहा है। सरकार ने विरोध के आधारों को अप्रासंगिक और प्रायोजित बताकर खारिज कर दिया है। सरकार अपने अड़ियल रवैए के चलते कानूनों के विरोध को रोकने का प्रयास नहीं कर रही है। इसके उलट, दो राज्य सरकारों ने घोषणा कर दी है कि वे अपनी विधानसभाओं में कुछ संशोधन लाएंगी। तमिलनाडु ने एक महीने के भीतर इनमें परिवर्तन संबंधी सुझाव देने के लिए एकल सदस्यीय समिति नियुक्त कर दी है। कर्नाटक और अन्य राज्य सरकारें भी यही रास्ता अपना सकती हैं। इसलिए तथ्यों और मुद्दों को जनता के सामने रखना और नागरिकों से अपने निष्कर्षों से अवगत कराने को कहना जरूरी है।

'आपराधिक कानून' संविधान की समवर्ती सूची का विषय हैं। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम हैं। निस्संदेह, अगर संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून एक-दूसरे के प्रतिकूल हैं, तो संविधान का अनुच्छेद 254 लागू होगा। हालांकि, यह एक ऐसा मुद्दा है, जो राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाए जाने, उसके प्रतिकूल होने और राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानमंडल की तरफ से पारित कानून को अपनी मंजूरी न दिए जाने के बाद उठेगा।

इस बीच, नए कानूनों का विरोध करने वालों द्वारा उठाए गए सवालों को सुना और उनका जवाब दिया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से, केंद्र सरकार ने संसद में या बाहर, जवाब देने से इनकार कर दिया है। सवाल ये हैं :

1. क्या यह सही है कि तीन नए कानूनों के अधिकांश प्रावधान हटाए गए तीनों कानूनों से ही 'नकल किए और चिपकाए' गए हैं? क्या यह सही है कि नए कानूनों में आइपीसी और सीआरपीसी की 90-95 फीसद धाराएं और साक्ष्य अधिनियम की 95-99 फीसद धाराएं बरकरार रखी गई हैं और हर धारा को नए ढंग से क्रमांकित किया गया है? अगर मौजूदा कानूनों में कुछ जोड़ने, हटाने और बदलाव करने की आवश्यकता थी, तो क्या संशोधनों के माध्यम से वही नतीजे हासिल नहीं किए जा सकते थे? क्या यह दावा खोखला नहीं है कि सरकार ने 'औपनिवेशिक विरासत' को खत्म कर दिया है?

2. अगर इरादा आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन और बदलाव का था, तो विधि आयोग को इनका संदर्भ देने की पुरानी प्रथा का पालन क्यों नहीं किया गया? क्या विधि आयोग सभी हितधारकों से परामर्श करने और विधेयकों के प्रारूप के साथ अपनी सिफारिशें सरकार और संसद के विचार के लिए प्रस्तुत करने की खातिर सबसे उपयुक्त निकाय नहीं था? विधि आयोग को क्यों दरकिनार किया गया और यह काम एक ऐसी समिति को क्यों सौंपा गया, जिसमें अंशकालिक सदस्य शामिल थे, जो एक को छोड़कर सभी विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूर्णकालिक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे?

3. क्या नए कानून आपराधिक न्यायशास्त्र के आधुनिक सिद्धांतों के अनुरूप हैं? क्या नए कानूनों में पिछले दस वर्षों में दिए गए ऐतिहासिक निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रगतिशील सिद्धांतों को मान्यता दी गई और उन्हें शामिल किया है? क्या नए कानूनों के कई प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्यायित भारतीय संविधान के विपरीत हैं?

4. नए कानूनों में 'मृत्युदंड' को क्यों बरकरार रखा गया है, जिसे कई लोकतांत्रिक देशों में समाप्त किया जा चुका है? 'एकांत कारावास' की क्रूर और अमानवीय सजा क्यों शुरू की गई है? 'व्यभिचार' के अपराध को आपराधिक कानून में वापस क्यों लाया गया है? क्या 'मानहानि' को आपराधिक कृत्य के रूप में बनाए रखना आवश्यक था? क्या 'मानहानि' की आपराधिक शिकायत दर्ज करने के लिए समय सीमा निर्धारित करना आवश्यक नहीं था? दूसरे व्यक्ति की सहमति के बिना समलैंगिक संबंध अब अपराध क्यों नहीं है? क्या 'सामुदायिक सेवा' की सजा को परिभाषित करना या कम से कम सामुदायिक सेवा के उदाहरण देना आवश्यक नहीं था?

5. 'राजद्रोह' के अपराध को क्यों बढ़ाया और बरकरार रखा गया है? 'आतंकवाद' के अपराध को सामान्य आपराधिक कानून में क्यों लाया गया है, जबकि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम नामक एक विशेष अधिनियम है? 'चुनावी अपराध' को नए कानून में क्यों शामिल किया गया है, जबकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 नामक विशेष कानून पहले से हैं?

6. क्या नए कानूनों में पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और उस व्यक्ति की पुलिस हिरासत की मांग करने के लिए अधिक छूट दी गई है? क्या नए कानूनों में सर्वोच्च न्यायालय के इस कथन की अनदेखी की गई है कि गिरफ्तार करने की शक्ति का मतलब गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं होता है? क्या कानून में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करना आवश्यक नहीं था कि 'जमानत नियम है, जेल अपवाद है'? क्या गिरफ्तारी की वैधता और गिरफ्तारी की आवश्यकता की जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट को बाध्य करना आवश्यक नहीं था? क्या जमानत के प्रावधानों में मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी के बाद 40/60 दिनों के लिए जमानत देने से इनकार करने की आवश्यकता है?

7. क्या यह प्रावधान संवैधानिक है, जिसके तहत अपराध की जगह की परवाह किए बिना देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है? क्या यह प्रावधान, जो उस राज्य की पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने और अपराध की जांच करने का अधिकार देता है, 'पुलिस' की राज्य सूची का विषय होने के मद्देनजर असंवैधानिक है? क्या उक्त प्रावधान 'संघवाद' के सिद्धांत के विपरीत हैं, जो संविधान की एक बुनियादी विशेषता है? और भी कई सवाल हैं। सवाल पूछने और जवाब पाने का मंच कौन-सा है? सरकार में अभी तक किसी ने भी सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, लेकिन सवाल खत्म नहीं होंगे। फिर भी देश में आपराधिक न्याय के प्रशासन के लिए सबसे बुनियादी कानून 'लागू हो गए हैं'- कुछ लोगों द्वारा और कुछ लोगों के लिए सरकार, के एक उदाहरण के रूप में।

स्त्री का हक

वक्त की नब्ज
तवलीन सिंह

धर्म के नाम पर जब कोई गलत काम होता है, तो उसका विरोध करना जरूरी है, वरना आज भी इस देश में नाबालिग लड़कियों की शादियों की प्रथा जायज होती और शायद सती प्रथा भी। ऐसा नहीं है कि भारत की महिलाओं का जीवन अब स्वर्ग बन गया है, लेकिन प्रयास तो किया गया है कानूनी और सामाजिक तौर पर उन गलत प्रथाओं को समाप्त करने का, जो सदियों से चली आ रही थी धर्म-मजहब के बहाने।

पिछले सप्ताह जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि तलाकशुदा मुसलिम महिलाओं को गुजारा भत्ते का वही हक है, जो इस देश की बाकी औरतों को है, मुझे निजी तौर पर खुशी हुई। सुनिए क्यों। कुछ साल पहले मैं जयपुर के एक बड़े पुलिस थाने गई थी किसी हादसे के बारे में जानकारी लेने। गर्मी का मौसम था, तेज धूप थी और थाने के बाहर एक कमजोर-सी औरत दिखी, जिसके साथ एक छोटी बच्ची थी। बच्ची धूप की वजह से परेशान थी और रो रही थी, तो मैंने उसकी मां से पूछा कि इतनी छोटी बच्ची को लिए वह धूप में क्यों खड़ी है। उसका जवाब ये था- 'मुझे मेरे शौहर ने घर से निकाल दिया है, इसलिए कि उसने दूसरी शादी कर ली है। मैं यहां आई हूं पुलिस की मदद मांगने।'

मैंने पहले एक पास वाले रेस्तरां में दोनों को ले जाकर खाना खिलाया और उनकी कहानी सुनी। उस औरत ने बताया कि कोई चार साल पहले उसकी शादी हुई थी एक ऐसे आदमी से, जिसकी पहले से एक बीवी थी। उसके मां-बाप ने उसकी शादी करवाई इसके बावजूद। इसके भी बावजूद कि आदमी उनकी बेटी से उम्र में काफी बड़ा था। कारण वही जो अक्सर होता है- गरीबी। आगे सुनिए, उसके शब्दों में। 'कुछ साल हम खुश थे। लेकिन मेरी बेटी होने के बाद उसने काम शुरू कर दिया कि वह दूसरी औरत लाएगा, ताकि उसका बेटा हो। आज उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब समझ में नहीं आता है कि जाऊं कहां?' यह सब सुनने के बाद मैं उस औरत के साथ थाने के अंदर गई और शिकायत लिखवाई। इसके बाद हमारे साथ एक पुलिसवाला आया उसके घर और उसके पति ने पुलिस को देखते ही अपनी बीवी को वापस घर में आने दिया। मैंने उस औरत को अपना नंबर दिया और कहा कि अगर दुबारा उसको निकाला जाता है, तो मुझे फोन करे।

ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलिम महिलाओं को इस तरह घर से निकाला जाता है, लेकिन जब कोई हिंदू लड़की के साथ ऐसा होता है तो कानून उसकी रक्षा करता है। किसी न किसी तरह न्याय मिलता है उसे और गुजारा भत्ता भी मिल जाता है, चाहे लड़ कर लेना पड़े। मुसलिम महिलाओं को नहीं मिलता है सिर्फ इसलिए कि राजीव गांधी ने कट्टरपंथी मौलवियों और मुसलिम नेताओं के कहने पर मुसलिम मर्दों को गुजारा भत्ता देने से आजाद किया इस आधार पर कि शरीअत में तलाक के बाद सिर्फ तीन महीनों तक देने का प्रावधान है। उस समय भी सर्वोच्च न्यायालय ने शाह बानो के पति की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि उसके पति को शरीअत से नहीं, बल्कि देश के कानून के तहत चलना है। राजीव गांधी ने इस फैसले के विरोध में संसद में मुसलिम पर्सनल ला पारित किया था 1986 में।

मेरी सहानुभूति उस समय भी शाह बानो के साथ थी। हुआ यह कि इंदौर गई थी किसी दूसरी वजह से, लेकिन मालूम पड़ा कि शाह बानो का घर पास में ही है, तो उसे मिलने गई। उसकी कहानी सुनी और उसकी फोटो भी ली, जो पत्रकारिता के हिसाब से उसकी पहली फोटो थी। शाह बानो बासठ साल की थी जब उसके पति ने उसको तलाक देकर दूसरी शादी की और जब उसने गुजारा भत्ता लेने की जिद की, तो उसके पति ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की यह कहते हुए कि इस्लाम में तलाक देने के बाद सिर्फ तीन महीनों की इद्दत में उसकी जिम्मेदारी रही थी। अब शाह बानो और उसके बच्चों की जिम्मेदारी उसकी नहीं है।

अब सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर फैसला सुनाया है कि जो हर तलाकशुदा भारतीय महिला के अधिकार हैं, वही मुसलिम महिलाओं को भी मिलेंगे। आज देश इतना बदल गया है कि कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता इस फैसले का विरोध नहीं करेगा। अच्छा फैसला सुनाया है न्यायालय ने। धर्म के नाम पर जब कोई गलत काम होता है, तो उसका विरोध करना जरूरी है, वरना आज भी इस देश में नाबालिग लड़कियों की शादियों की प्रथा जायज होती और शायद सती प्रथा भी। ऐसा नहीं कि भारत की महिलाओं का जीवन अब स्वर्ग बन गया है, लेकिन प्रयास तो किया गया है कानूनी और सामाजिक तौर पर उन गलत प्रथाओं को समाप्त करने का, जो सदियों से चली आ रही थी धर्म-मजहब के बहाने।

जरूरत सामाजिक परिवर्तन की भी है बहुत बड़े पैमाने पर। पिछले सप्ताह खबर मिली हरियाणा से कि किसी बाप ने अपनी दो जुड़वां बेटियों की हत्या कर दी केवल इसलिए कि उसको बेटा चाहिए था। इस दरिंदगी की खबर उसके साले ने पुलिस तक पहुंचाई, लेकिन समझना मुश्किल है कि इन मासूम बच्चियों की मां ने क्यों नहीं उनको जिंदा रखने की कोशिश की। क्या इसलिए कि उसके पति के परिवार ने उस दरिंदे का साथ दिया था, उस मां का नहीं? अजीब नफरत है अपने देश में लड़कियों से। कभी उनको मार दिया जाता है पैदा होने से पहले, तो कभी उनको पैदा होने के फौरन बाद। जीवित जो रहती हैं, उनकी शादियां अक्सर छोटी उम्र में करवा दी जाती हैं और ऐसा करने के लिए उनको शिक्षा से दूर रखा जाता है।

सबसे बदनसीब हैं वे छोटी बच्चियां, जिनके साथ दुष्कर्म उनके परिवार वाले ही करना शुरू करते हैं। उससे भी बदनसीब हैं वे बच्चियां, जिनको दरिंदे अगवा करके उनके साथ जबर्दस्ती करने के बाद उनको इतनी बर्बरता से मार डालते हैं कि इन हादसों के बारे में मेरे लिए पढ़ना भी मुश्किल है। बहुत कुछ अभी करना बाकी है, लेकिन जो कदम पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय ने उठाया है, वह कम से कम सही दिशा में है। मेरी तरफ से सर्वोच्च न्यायालय को तहेदिल से सलाम।

संविधान हत्या दिवस के निहितार्थ

संदर्भ
राकेश सिन्हा

पूरी दुनिया में आपातकाल जैसी प्रकृति से खतरा है, इसीलिए लोकतंत्र की गुणात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश इतिहासकार जार्ज ब्रोट ने ग्रीस का इतिहास लिखते हुए संवैधानिक नैतिकता की बात की थी। जो लोग आपातकाल का इतिहास लिखे और बताए जाने का विरोध करते हैं, वे संवैधानिक नैतिकता से दूर भाग रहे हैं।

देश में 25 जून, 1975 को आपातकाल लगाया गया था। इसने संविधान को निरस्त कर दिया था। इस दिन को 'संविधान हत्या दिवस' मनाने के निर्णय से एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि उनचास साल बाद इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आपातकाल एक घटना मात्र होने से कहीं अधिक एक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो लोकतंत्र के बीच ही विद्यमान रहती है। उसके प्रति अज्ञानता को बनाए रखना स्वयं के प्रति छल है। समय चाहे जितना बीत जाए, सत्य कभी बासी नहीं होता है, न ही इसके प्रति आकर्षण कम होता है। यही इसकी संजीवनी है।

जिस देश में संविधान पर इतना बड़ा वज्रपात हुआ हो, उस देश की पीढ़ियों को अपनी ही व्यवस्था के प्रति उदासीन तथा अज्ञानी बनाकर रखना ऐतिहासिक अपराध से कम नहीं माना जाएगा। आज विचित्र परिस्थिति है। आपातकाल का अर्थ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच टकराव बनकर रह गया है। राजनीति में परस्पर संघर्ष तो रहता ही है, पर उसके कारण इतिहास के प्रवाह को रुकने नहीं देना चाहिए। यह प्रवाह राष्ट्र के जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों प्रकार की घटनाओं को सम्मिलित करने से बनता है।

एक जनतांत्रिक समाज में स्वयं की त्रुटियों या न्यूनताओं को स्वीकार करने की ताकत विकसित होती है। अगर ऐसा नहीं होता है, तो इसका अभिप्राय जनतंत्र में परिपक्वता की अल्पता है। भारत के संदर्भ में यह सच है। तभी तो आपातकाल के नाम पर राजनीति और बौद्धिकता दो खेमों में बंट जाती है। 'संविधान हत्या दिवस' सिर्फ एक दिन का जलसा न होकर भारतीय लोकतंत्र की यात्रा में उतार-चढ़ाव को रेखांकित करने वाला सिद्ध होगा। यह कार्य अब तक क्यों नहीं हुआ? उत्तर हमें समकालीन बौद्धिकता की न्यूनता या कमजोरियों तक ले जाता है। अमेरिकी न्यायाधीश फेलिक्स फ्रैंकफर्टर, जिन्होंने स्वतंत्रता के पक्ष को मजबूत करने की लंबी लड़ाई लड़ी थी, ने सच को वस्तुनिष्ठ बताया था।

आपातकाल के प्रति जानकारियों में वस्तुनिष्ठता का सख्त अभाव है। जब तक यह बना रहेगा, नई पीढ़ी को विध्वंसात्मक ताकतों के प्रति जागरूक करना कठिन होगा। आपातकाल की जानकारी कितने लोग जेल गए और कितना अत्याचार हुआ, इसे जानने तक सीमित नहीं है। यह संविधान की जनपक्षधरता पर जीवंत बहस है। हमारा संविधान सामान्य लोगों को केंद्र में रखकर बनाया गया है, इसलिए इसकी रक्षा भी उन्हीं लोगों द्वारा सुनिश्चित हो सकती है। समकालीन राजनीति में संविधान को परस्पर आरोप-प्रत्यारोप का उपकरण बना दिया गया है। यह संविधान सभा की मूल भावना के विपरीत और विरोधी है।

संविधान सभा में सभी रंगों और दृष्टिकोणों के लोग थे। एक तरफ घोर समाजवादी केटी शाह थे तो दूसरी तरफ दक्षिणपंथ के प्रतिनिधि मीनू मसानी थे, लेकिन विरोधी और विपरीत विचारधारा के प्रतिनिधि शालीनता से बोलते भी थे और दूसरों को धैर्य से सुनते भी थे। असहमति शत्रुता का कारण नहीं बनती थी। मतांतर ने मर्यादा को कभी मरने नहीं दिया। इसका कारण था कि संविधान सभा के सदस्य पीढ़ियों के लिए सोचते और बोलते थे। यह भाव और भावना, दोनों ही स्वतंत्र भारत में राजनीति से लुप्त होती गई। इसीलिए आपातकाल के दौरान जुल्म और जबर्दस्ती के ऊपर भी राजनीतिक विभाजन होना एक इसके क्षरण का उदाहरण है।

लोकतंत्र कभी करिअरवादी बुद्धिजीवियों से न समृद्ध होता है, न ही सुरक्षित रहता है। ऐसे लोग सभी व्यवस्थाओं में स्वघोषित नवरत्न बनकर सोचते, बोलते और लिखते हैं। इतिहास लेखन को कुलीनता और करिअरवाद, दोनों जंजाल से मुक्त करना ही उसे सहज स्वरूप देना होगा। यह विडंबना ही है कि लोकतंत्र पर बोलते या लिखते वक्त हम एथेंस की तरफ देखते हैं। हम स्वयं के इतिहास से विस्मृत हैं। लिच्छवी का गणतंत्र प्राचीनतम लोकतंत्र है। अगर यह यूरोप से जुड़ा होता, तो हम बारीकियों में वैसे ही पड़ते, जैसे प्लेटो या अरस्तू को पढ़ते हैं।

एक जीवंत समाज अपने इतिहास को सदैव टटोलता रहता है। यह वर्तमान को ताकत देने का काम करता है। आपातकाल का विस्तृत अध्ययन और उसकी जानकारी भारतीय समाज की प्रचंड सजगता का भी उदाहरण है। प्रजातंत्र के पक्ष की एक घटना दर्जनों नकारात्मकता को पछाड़ती है। इंदिरा गांधी का रायबरेली से चुनाव रद्द किया जाना सिर्फ निर्णय नहीं है, बल्कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल का कानून के राज के प्रति व्यावहारिक समर्पण का उदाहरण है। वैसे ही दूसरी घटना है जो दर्शाती है कि लोकतंत्र की सुरक्षा तटस्थता में नहीं होती है। नानी पालकीवाला जाने-माने वकील थे। उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय को चुनौती देने वाले मामले में वकील बनने की सहमति दी थी। पर जैसे ही इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने की घोषणा की, उन्होंने विरोध में इंदिरा गांधी के पक्ष से अपने आपको अलग कर लिया। इसलिए आपातकाल पर बहस का फलक राजनीतिक सरगर्मी की उपज नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया में आपातकाल जैसी प्रकृति से खतरा है, इसीलिए लोकतंत्र की गुणात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश इतिहासकार जार्ज ग्रोट ने ग्रीस का इतिहास लिखते हुए संवैधानिक नैतिकता की बात की थी। जो लोग आपातकाल का इतिहास लिखे और बताए जाने का विरोध करते हैं, वे संवैधानिक नैतिकता से दूर भाग रहे हैं।

चुनी हुई चुप्पियों का जनतंत्र

बाखबर
सुधीश पचौरी

यह अपनी-अपनी चुनी हुई चुप्पियों का जनतंत्र है! अपना शिकार हो तो रोओ, दूसरे का हो तो चुप लगाओ! फिर एक दिन आया एक तलाकित मुसलिम औरत के हक में देश के सर्वोच्च न्यायालय का देश के कानून के अनुसार मुआवजा देने का आदेश..!

एक शाम एक चैनल में एक 'हैशटैग' दिखा : 'बालक' बरक्स 'बैल'... फिर एक लाइन दिखी कि 'सोशल मीडिया में तूफान..!' एंकर ने कहा कि राजनीति का यह 'नया नीच स्तर' है, तो एक विपक्षी प्रवक्ता ने एंकर को ही लपेट दिया कि वे कहें 'बाल बुद्धि' तो ठीक, हम कहें 'बैल बुद्धि' तो गलत। एक 'बीचवाला' कहिन कि 'बालक' कहना अनुचित, लेकिन 'बैल' कह के आप भी तो उन्हीं के स्तर पर आ गए! एक विपक्षधर ने कहा कि चुनाव के बाद विपक्ष फार्म में है। वह कह रहा है कि 'कहानी तुमने शुरू की है, तो खत्म हम करेंगे!'

फिर एक अन्य विपक्षधर ने दो टूक कहा कि आप एक मारोगे तो हम दो मारेंगे... शठे शाठ्यम समाचरेत..! सोशल मीडिया पर हमारे नेता को इतने 'लाइक' मिले हैं, जबकि आपके नेता को उनसे काफी कम मिले हैं। 'बीचवाला' बोला कि सोशल मीडिया पर लोग ऐसे कटाक्षों को 'मनोरंजन' की तरह लेते हैं। एंकर अंत में अफसोस करता रहा कि हमारी राजनीतिक भाषा को यह क्या हो गया है, लेकिन न 'बालवादी' रुके न 'बैलवादी'!

फिर एक दिन एक 'प्यू रिसर्च' का सर्वे आया, जिसे कई चैनलों ने हाथोंहाथ लिया। चुनाव के बाद किए सर्वे में 'प्यू' ने बताया कि भारत में 77 फीसद जनता जनतंत्र को पसंद करती है, जबकि अमेरिका में कुल 37 फीसद पसंद करती है। एक पक्षधर ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान विपक्ष ने सत्ता के खिलाफ एक 'फर्जी' अभियान चलाया कि 'जनतंत्र खतरे में है', जबकि 'प्यू' रपट के अनुसार यहां जनतंत्र सबसे ज्यादा 'जिंदाबाद' है!

और यह जनतंत्र नहीं तो और क्या है कि इन दिनों प्रधानमंत्री की हर बात पर 'हाय हाय' है : वे रूस गए तो हाय-हाय! पुतिन से 'जादू की झप्पी' की तो हाय-हाय! प्रवासी भारतीयों से मिले तो हाय-हाय! विपक्ष का एक ही राग कि प्रधानमंत्री के पास रूस जाने की फुर्सत है, मणिपुर जाने की नहीं, कि कश्मीर में इतने शहीद हो गए, लेकिन उनको बाहर जाने से फुर्सत नहीं।

इसी बीच, एक विपक्षी नेता द्वारा एक शहीद हुए 'अग्निवीर' के परिवार वालों को मुआवजा न दिए जाने का आरोप और सेना का जवाब कि नियमानुसार इतना मुआवजा दिया गया और इतना नियमानुसार प्रक्रिया में है। और इस पर पक्षधर कि सिर्फ इतनी शिकायत कि सेना को लेकर विपक्ष का राजनीति करना ठीक नहीं। फिर एक दिन एक विपक्षी नेता ने चोट मारी कि अयोध्या में मंदिर आंदोलन को हराया, तो पक्षधर का जवाब आया कि इनको अयोध्या की जीत का नशा चढ़ गया है।

फिर एक के बाद एक बिहार के तेरह पुलों के टूटने की खबरें। फिर एक दिन बिहार को 'विशेष दर्जा' या 'पैकेज' पर ठहरी हुई बहसें! इसी तरह, एक दिन लुधियाना में एक शिवसैनिक को सरेआम 'हैक' कर देने की खबर ने, फिर एक दिन तमिलनाडु में बसपा के अध्यक्ष आर्मस्टांग को सरेआम 'हैक' करने की खबर ने, अपने 'जनतंत्र' को 'चार चांद' लगा दिए! ऐसी नृशंस और बर्बर हत्याओं का कुछ पक्षधरों ने तो विरोध किया, लेकिन बाकी सब चुप्पी लगाए रहे!

यह अपनी-अपनी चुनी हुई चुप्पियों का जनतंत्र है! अपना शिकार हो तो रोओ, दूसरे का हो तो चुप लगाओ! फिर एक दिन आया एक तलाकित मुसलिम औरत के हक में देश के सर्वोच्च न्यायालय का देश के कानून के अनुसार मुआवजा देने का आदेश... और सारी बहसों में एक बार फिर 'शाहबानो' वाले तर्क-कुतर्क आ विराजे। इस्लामी तत्त्ववादी कहें कि मुसलिमों को ही क्यों निशाने पर लिया जाता है! जब कहा गया कि सबके लिए एक कानून हो, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप है जो स्वीकार्य नहीं।

अफसोस कि इस मुद्दे पर ऐसी दुखियारी मुसलिम औरतों के पक्ष में न कोई 'स्त्रीवादी' बोला न 'जयसींघवानवादी' ही बोला! लेकिन एक एंकर ने साफ कहा कि इस फैसले ने 'समान नागरिक संहिता' (यूसीसी) का रास्ता साफ कर दिया है!

और अंत में, 'अनंत अंबानी और राधिका' की शादी! एक चैनल ने लाइन दी : 'दुनिया की सबसे महंगी शादी', सिर्फ 'विवाह पूर्व' में एक हजार करोड़ रुपए खर्च। एक चैनल पर शादी के दृश्यों के कुछ टुकड़े : 'अंबानीजन' और 'बालीवुड' हीरो-हीराइनें 'ओम् शांति ओम्' गाने पर नाचते गाते! पाप गायक 'टिंबरलेक' और हालीवुड की हीरोइन कार्दशियन की 'स्पेशल अपीअरेंस' और नाच गान! बड़ी साज-सज्जा! पैसे का निर्लज्ज प्रदर्शन! शादी में राजनीति भी आ रही है। ममता दीदी आ रही हैं, मगर 'गांधी परिवार' नहीं जा रहा।

चलते चलते : 'ईडी' के मामले में सर्वोच्च अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। इसे लेकर 'आप' के नेता 'बल्ले बल्ले' करते नजर आए, जबकि एक भाजपा प्रवक्ता ने उनके उत्साह पर 'पानी फेर दिया' कि इस जमानत का मतलब यह नहीं कि वे निर्दोष हैं। मुकदमा तो चलना है!